रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 03 जून, 2023 ई० (ज्येष्ट 13, 1945 शक संवत्) [संख्या 22

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	327–334	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	627–658	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	269–301	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

उत्तर प्रदेश सरकार

संस्कृति विभाग

अधिसूचना

23 जनवरी, 2023 ई0

सं0 276/चार-2022—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट, 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में उक्त स्मारक को असंरक्षित घोषित करते हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थल का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या अधिसूचना सं0 1568/चार-10(20)/61, दिनांक 17 जुलाई, 1968			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ सदर	छत्तर मंजिल	—	—	—	पर्यटन संवर्धन के उद्देश्य से उक्त प्राचीन धरोहर को एडाप्टिव री-यूज किये जाने के लिये पी0पी0 मॉडल पर हेरिटेज होटल विकसित किये जाने हेतु असंरक्षित किया जाता है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, लखनऊ को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगीं।

सं0 277/चार-2022—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट, 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में उक्त स्मारक को असंरक्षित घोषित करते हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक / स्थल का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या अधिसूचना सं0 1309 / चार-2013-267(वि0) / 2010, दिनांक 28 दिसम्बर, 2013			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ सदर	कोठी गलिस्तानें इरम एवं दर्शन विलास पैलेस	–	हे0 / एकड़ 5470 वर्ग मीटर	पूर्व–स्वास्थ्य भवन, पश्चिम–राज्य संरक्षित भवन (लाल बारादरी) उत्तर–आयुक्त कार्यालय एवं प्रयोगशाला दक्षिण–सड़क एवं उच्च न्यायालय भवन	पर्यटन संवर्धन के उद्देश्य से उक्त प्राचीन धरोहर को एडाप्टिव री-यूज किये जाने के लिये पी0पी0 मॉडल पर हेरिटेज होटल विकसित किये जाने हेतु असंरक्षित किया जाता है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, लखनऊ को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगीं।

सं0 278 / चार-2022–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट, 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों / स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में उक्त स्मारक को असंरक्षित घोषित करते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक / स्थल का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या अधिसूचना सं0 2395 / चार-10(51) / 81, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात	अकबरपुर	शुक्ला तालाब	573क 573ख	हेक्टेयर / एकड़ 11 बीघा 15 बिस्वा	उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व–खुली भूमि पश्चिम–सड़क	पर्यटन संवर्धन के उद्देश्य से उक्त प्राचीन धरोहर को एडाप्टिव री-यूज किये जाने के लिये पी0पी0 मॉडल पर हेरिटेज होटल विकसित किये जाने हेतु असंरक्षित किया जाता है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, कानपुर देहात को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगीं।

सं0 279/चार-2022—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट, 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में उक्त स्मारक को असंरक्षित घोषित करते हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थल का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या अधिसूचना सं0 1568/चार-10(29)/61, दिनांक 17 जुलाई, 1968			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	झांसी	झांसी	बरुआ सागर किला	—	हे0/एकड़ —	—	पर्यटन संवर्धन के उद्देश्य से उक्त प्राचीन धरोहर को एडाप्टिव री-यूज किये जाने के लिये पी0पी0 मॉडल पर हेरिटेज होटल विकसित किये जाने हेतु असंरक्षित किया जाता है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, झांसी को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगीं।

सं0 280/चार-2022—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट, 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में उक्त स्मारक को असंरक्षित घोषित करते हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थल का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या अधिसूचना सं0 2060/चार-2021, दिनांक 26 अक्टूबर, 2021			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	फूलपुर, औराहा, उपरहार (हेतापट्टी)	रमना का टीला		हेक्टेयर		
					2	1.050	उत्तर में गाटा सं0 112, 113, 114, 116, 151 स्थित है, दक्षिण में गाटा सं0 13, 67 स्थित है। पूरब में गाटा सं0 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 109, 122, 127, 128 एवं 150 स्थित है। पश्चिम में गंगा नदी।	मिट्टी खुदाई किये जाने के कारण टीला पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है।
					5	0.141		
					6	0.559		
					7	0.331		
					8	1.974		
					9	1.301		
					11	2.249		
					12	आंशिक		
					67	आंशिक		
					76	आंशिक		
					97	0.196		
					98	0.352		
					110	0.239		
					111	2.205		
					117	0.228		
					118	0.262		

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, प्रयागराज को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगीं।

सं0 281/चार-2022—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट, 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थलों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में उक्त स्मारक को असंरक्षित घोषित करते हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थल का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या अधिसूचना सं0 2059/चार-2021, दिनांक 26 अक्टूबर, 2021			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	मथुरा	छाता, ग्राम—बरसाना	जलमहल	316	हेक्टेयर 0.4050	पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण—314 सड़क दक्षिण की ओर बरसाना से गोवर्धन तक	पर्यटन संवर्धन के उद्देश्य से उक्त प्राचीन धरोहर को एडाप्टिव री-यूज किये जाने के लिये पी0पी0 मॉडल पर हेरिटेज होटल विकसित किये जाने हेतु असंरक्षित किया जाता है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, मथुरा को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगीं।

सं0 282/चार-2022–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों एवं अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट, 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारक को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में उक्त स्मारक को असंरक्षित घोषित करते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थल का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या अधिसूचना सं0 2395/चार-10(51)/81, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल हेक्टेयर/एकड़ में	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	चुनार	चुनार किला	–	–	–	पर्यटन संवर्धन के उद्देश्य से उक्त प्राचीन धरोहर को एडाप्टिव री-यूज किये जाने के लिये पी0पी0 मॉडल पर हेरिटेज होटल विकसित किये जाने हेतु असंरक्षित किया जाता है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगीं।

सं0 283/चार-2022–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों एवं अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट, 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में उक्त स्मारक को असंरक्षित घोषित करते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक / स्थल का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या अधिसूचना सं0 846 / चार-10(56) / 77, दिनांक 31 जनवरी, 1979			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल हेक्टेयर / एकड़ में	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	कानपुर शहर	कानपुर, बिठूर	राजा टिकैत राय द्वारा निर्मित शिवमन्दिर के पास की बारादरी	फाटक सं0 01	882 वर्ग मीटर	उत्तर-श्री बद्री विशाल पण्डा का मकान एवं पूर्व-गंगा नदी पश्चिम–बांके बिहारी जी का मन्दिर एवं समाधि दक्षिण–बांके बिहारी मन्दिर का फाटक	पर्यटन संवर्धन के उद्देश्य से उक्त प्राचीन धरोहर को एडाप्टिव री–यूज किये जाने के लिये पी0पी0 मॉडल पर हेरिटेज होटल विकसित किये जाने हेतु असंरक्षित किया जाता है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, कानपुर शहर को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगीं।

सं0 284 / चार-2022–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों एवं अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट, 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारक को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में उक्त स्मारक को असंरक्षित घोषित करते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक / स्थल का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या अधिसूचना सं0 1160 / चार-2003-6(9) / 02, दिनांक 01 मई, 2003			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल हेक्टेयर / एकड़ में	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	झांसी	झांसी नगर	रघुनाथ राव का महल	3160	7386 वर्ग मीटर	उत्तर–आबादी दक्षिण–रास्ता, पूर्व–हरिजन कालोनी (नगर पालिका) पश्चिम–कल्लू कुशवाहा आदि का प्लाट।	पर्यटन संवर्धन के उद्देश्य से उक्त प्राचीन धरोहर को एडाप्टिव री-यूज किये जाने के लिये पी0पी0 मॉडल पर हेरिटेज होटल विकसित किये जाने हेतु असंरक्षित किया जाता है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, झांसी को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगीं।

सं0 285/चार-2022–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों एवं अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट, 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारक को संरक्षित किया गया था। परन्तु पुरातत्व परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 की संस्तुति के अनुक्रम में उक्त स्मारक को असंरक्षित घोषित करते हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थल का नाम	पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या अधिसूचना सं0 8202/चार-10(64)/78, दिनांक 02 दिसम्बर, 1981			
					संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल हेक्टेयर/एकड़ में	सीमाएं	असंरक्षित घोषित करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ कैसरबाग	रोशनु–दौला कचेहरी (रोशनुदौला कोठी)	–	6880 वर्ग मीटर	उत्तर–नारी शिक्षा निकेतन की चहार दीवारी दक्षिण–नया भवन, न्यायाधीशों का न्यायालय कक्ष, चतुर्थ वर्ग के क्वाटर एवं सड़क, पूर्व–कैसरबाग भवन एवं नाली, पश्चिम सैनिक भवन एवं सड़क	पर्यटन संवर्धन के उद्देश्य से उक्त प्राचीन धरोहर को एडाप्टिव री–यूज किये जाने के लिये पी0पी0 मॉडल पर हेरिटेज होटल विकसित किये जाने हेतु असंरक्षित किया जाता है।

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्तियां हों तो, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, लखनऊ को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगीं।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–10 हिन्दी गजट–भाग 1–2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 03 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 13, 1945 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

November 19, 2022

No. 1583/Admin.(Services)/2022-The Hon'ble Court has been pleased to transfer officers at Serial No. 01 to 06 on administrative grounds to places as shown in Column no. (III) of the table below.

The Hon'ble Court has been further pleased to designate senior Additional District & Sessions Judges as Officers in the District & Sessions Judges and equivalent Rank as shown from Serial no. 07 to 34 and to post them to places as shown in Column no. (III) of the table below.

The necessary Government notifications for officers being posted in LARRA Authorities, Family Courts and Motor Accident Claims Tribunals are to follow in due course. The Officers named as under be accordingly ready to take charge at their new place of posting indicated against their name, on or after 28.11.2022.

1. Ramesh Chand -I, Principal Judge Family Court, Etawah, posted as P.O., Addl. Commercial Court, Lucknow (newly created court to be made functional).

2. Ashok Kumar Singh-V, Principal Judge Family Court, Mau, posted as P.O., Motor Accidents Claims Tribunal, Meerut.

3. Mukesh Kumar Singhal, P.O., Motor Accidents Claims Tribunal, Moradabad, posted as P.O., Motor Accidents Claims Tribunal, Hathras.

4. Raj Bahadur Singh Maurya, P.O., Motor Accidents Claims Tribunal, Budaun, posted as Principal Judge Family Court, Etah.

5. Smt. Rajani Singh, Principal Judge Family Court, Ballia, posted as Principal Judge Family Court, Auraiya.

6. Mahendra Singh-III, Principal Judge Family Court, Sultanpur, posted as Principal Judge Family Court, Bulandhshahar.

7. Shiva Nand Singh, ADJ, Kaushambi, posted as P.O., Motor Accidents Claims Tribunal, Moradabad.

8. Mohd. Asharaf Ansari, ADJ, Banda, posted as Principal Judge Family Court, Sultanpur.

9. Smt. Chandra Sheela, ADJ, Faizabad, posted as Principal Judge Family Court, Basti.

10. Ahmad ulla Khan, ADJ, Amroha, posted as Principal Judge Family Court, Aligarh.

11. Ram Sudh Singh, ADJ, Ghazipur, posted as Principal Judge Family Court, Maharajganj.

12. Virendra Kumar Pandey, SPl. Secy. & Addl. L.R., posted as P.O., Commercial Court, Lucknow.

13. Anil Kumar Vashistha, ADJ, Sant Kabir Nagar, posted as P.O., Motor Accidents Claims Tribunal, Mau.

14. Ram Ichchhuk Yadav, ADJ, Kushinagar, posted as Principal Judge Family Court, Allahabad.

15. Ved Prakash Verma, ADJ, Rampur, posted as P.O., Addl. Commercial Court, Meerut (newly created court to be made functional).

16. Jagdish Prasad-V, ADJ, Chandauli, posted as Principal Judge Family Court, Ramabai Nagar.

17. Shakeel-ur-rahman Khan, ADJ, Siddharth Nagar, posted as P.O., Motor Accidents Claims Tribunal, Sitapur.

18. Mohd. Rizwanul Haque, ADJ, Hardoi, posted as Principal Judge Family Court, Mau.

19. Phool Chand Patel, ADJ, Meerut, posted as Principal Judge Family Court, Shravasti at Bhinga.

20. Shahid Raza, ADJ, Chitrakoot, posted as P.O., Motor Accidents Claims Tribunal, Kannauj.

21. Ramayan Sharma, ADJ, Basti, posted as Principal Judge Family Court, Faizabad.

22. Veer Kanedi Lal, ADJ, Saharanpur, posted as Principal Judge Family Court, Sambhal at Chandausi.

23. Sudhir Kumar-IV, ADJ, Agra, posted as P.O., Addl. Commercial Court, Agra (newly created court to be made functional).

24. Mohd. Ghulamul Madar, ADJ, Hardoi, posted as Principal Judge Family Court, Mainpuri.

25. Jamshed Ali, Spl Judge, ADJ, Muzaffar Nagar, posted as P.O., Motor Accidents Claims Tribunal, Kushinagar.

26. Surya Prakash Sharma, Legal Advisor, UPSRTC, Lucknow, posted as P.O., Motor Accidents Claims Tribunal, Barabanki.

27. Rajendra Singh-IV, ADJ, Fatehpur, posted as P.O., Motor Accidents Claims Tribunal, Faizabad.

28. Udai Pratap Singh, Registrar (J.) (Accounts), High Court (Lucknow Bench), posted as P.O., Addl. Commercial Court, Gautambudh Nagar (newly created court to be made functional).

29. Bans Bahadur Yadav, ADJ, Mainpuri, posted as P.O., Commercial Court, Kanpur Nagar.

30. Mahendra Nath, ADJ, Balrampur, posted as P.O., Motor Accidents Claims Tribunal, Raebareli.

31. Prithvi Pal Yadav, ADJ, Fatehpur, posted as Principal Judge Family Court, Ballia.

32. Ram Kesh, ADJ, Buduan, posted as P.O., Motor Accidents Claims Tribunal, Buduan.

33. Anand Prakash-II, ADJ, Kannauj, posted as Principal Judge Family Court, Etawah.

34. Ajay Krishna, ADJ, Sitapur, posted as P.O., LARRA, Lucknow.

The Officers as above other than those at Sl. No. 01, 23 and Sl. No. 33 be ready to hand over their charge on or after 28.11.2022.

The courts shown in Column III, for serial nos. 01 and 23 are to become functional subject to completion of necessary infrastructure. Accordingly, the Officers at Sl. No. 01, 23 and Sl. No. 33 shall take charge at their destination stations upon intimations/directions to that effect which are to follow shortly.

November 24, 2022

No. 1584/Admin.(Services)/2022-Sri Kush Kumar, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghazipur *vice* Sri Durgesh.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Ghazipur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1585/Admin.(Services)/2022-Sri Duregesh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge, Ghazipur.

No. 1586/Admin.(Services)/2022-Sri Saniay Kumar Yadav-I, Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Special Judge, Ghazipur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Chandra Prakash Tewari-I.

No. 1587/Admin.(Services)/2022-Sri Chandra Prakash Tewari-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge, Ghazipur.

No. 1588/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No./2022/1007/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 22-11-2022, Sri Ram Sudh Singh, Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Principal Judge, Family Court, Maharajganj.

November 28, 2022

No. 1589/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No./2022/1007/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 22-11-2022, Sri Raj Bahadur Singh Maurya, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Budaun is appointed/ posted as Principal Judge, Family Court, Etah.

No. 1590/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No. /2022/1007/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated22-11-2022, Smt. Rajani Singh, Principal Judge, Family Court, Ballia is appointed/ posted as Principal Judge, Family Court, Auraiya.

No. 1591/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No./2022/1007/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 22-11-2022, Sri Mahendra Singh-III, Principal Judge, Family Court, Sultanpur to be Principal Judge, Family Court, Bulandshahar.

No. 1592/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No./2022/1007/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 22-11-2022, Sri Mohd. Asharaf Ansari, Additional District & Sessions Judge, Banda is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Sultanpur.

No. 1593/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No./2022/1007/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 22-11-2022, Smt. Chandra Sheela, Additional District & Sessions Judge, Faizabad is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Basti.

No. 1594/Admin.(Services)/2022- Pursuant to the Government Notification No./2022/1007/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 22-11-2022, Sri Ahmad Ulla Khan, Additional District & Sessions Judge, Amroha is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Aligarh.

No. 1595/Admin.(Services)/2022- Pursuant to the Government Notification No./2022/1007/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 22-11-2022, Sri Ram Ichchhuk Yadav, Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Allahabad.

No. 1596/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No./2022/1007/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 22-11-2022, Sri Jagdish Prasad-V, Additional District & Sessions Judge, Chandauli is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Ramabai Nagar.

No. 1597/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No. /2022/1007/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 22-11-2022, Sri Phool Chand Patel, Additional District & Sessions Judge, Meerut is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Shravasti at Bhinga.

No. 1598/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No. /2022/1007/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 22-11-2022, Sri Ramayan Sharma, Additional District & Sessions Judge, Basti to be Principal Judge, Family Court, Faizabad.

No. 1599/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No./2022/1007/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 22-11-2022, Sri Veer Kanedi Lal, Additional/District & Sessions Judge, Saharanpur is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Sambhal at Chandausi.

No. 1600/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No./2022/1007/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001dated 22-11-2022, Sri Mohd, Ghulamul Madar, Special Judge/ Additional District & Sessions Judge, Hardoi is appointed/ posted as Principal Judge, Family Court, Mainpuri.

No. 1601/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No./2022/1007/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 22-11-2022, Sri Prithvi Pal Yadav, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Fatehpur is appointed/ posted as Principal Judge, Family Court, Ballia.

No. 1602/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Office Memo. No.1006/VII-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 22-11-2022, Sri Harish Kumar Yadav, Additional District & Sessions Judge (Retired) is appointed/posted as Presiding Officer in the Special Court created vide Government Order No. 674/Saat-Nyay-2-2022-173G/2015, dated 04-08-2022 at Lucknow in place of Sri Bhairav Lal.

No. 1603/Admin.(Services)/2022-In continuation to the Court's notification no. 2755/Admin. (Services)/ 2019 dated 20.08.2019 and pursuant to the Government O.M. No. 812/II-4-2022-32(1)/2019 dated 22-10-2022, Sri Ram Net, Additional Principal Judge, Family Court, Muzaffarnagar is appointed in the U.P. Higher Judicial Service U/r 22(1) of U.P.H.J.S. Rules, 1975 notionally *w.e.f.* 19.07.2019 *i.e.* from the date his immediate junior Sri Rahul Anand was promoted in the Higher Judicial Service Cadre.

November 29, 2022

No. 1604/Admin.(Services)/2022-Sri Ramesh Chand-I, Principal Judge, Family Court, Etawah is appointed/posted as Presiding Officer, Commercial Court, Court No.1, Lucknow.

No. 1605/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No. 909/II-4-2022 dated 28-11-2022, Sri Ashok Kumar Singh-V, Principal Judge, Family Court, Mau is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Meerut.

No. 1606/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No. 909/II-4-2022 dated 28-11-2022, Sri Mukesh Kumar Singhal, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Moradabad is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Hathras.

No. 1607/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No. 909/II-4-2022 dated 28-11-2022, Sri Shiva Nand Singh, Additional District & Sessions Judge, Kaushambi is appointed/ posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Moradabad.

No. 1608/Admin.(Services)/2022-On reversion to the regular line, Sri Virendra Kumar Pandey, Special Secretary & Additional L.R., Government of U.P., Lucknow is appointed/posted as Presiding Officer in the Commercial Court, Court No. 2, Lucknow *i.e.* new Additional Commercial Court created vide G.O. No.-20-2022-772-Saat-Nyay-2-2022-129G-2015 dated 12-09-2022.

No. 1609/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No. 909/II-4-2022 dated 28-11-2022, Sri Anil Kumar Vashistha, Additional District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Mau.

No. 1610/Admin.(Services)/2022-Sri Ved Prakash Verma, Additional District & Sessions Judge, Rampur is appointed/posted as Presiding Officer in the Commercial Court, Court No. 2, Meerut *i.e.* new Additional Commercial Court created vide G.O. No.-20-2022-772-Saat-Nyay-2-2022- 129 G-2015 dated 12-09-2022.

No. 1611/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No. 909/II-4-2022 dated 28-11-2022, Sri Shakeel-*Ur*-Rahman Khan, Additional District & Sessions Judge, Siddharth Nagar is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Sitapur.

No. 1612/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No./2022/1007/Saat-

Nyay-2-2022-58G/ 2001 dated 22-11-2022, Sri Mohd. Rizwanul Haque, Additional District & Sessions Judge, Hardoi is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Mau.

No. 1613/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No. 909/II-4-2022 dated 28-11-2022, Sri Shahid Raza, Additional District & Sessions Judge, Chitrakoot is appointed/ posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kannauj.

No. 1614/Admin.(Services)/2022-Sri Sudhir Kumar-IV, Additional District & Sessions Judge, Agra is appointed/posted as Presiding Officer in the Commercial Court, Court No. 2, Agra *i.e.* new Additional Commercial Court created vide G.O. No.-20-2022-772-Saat-Nyay-2-2022-129 G-2015 dated 12-09-2022.

No. 1615/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No. 909/II-4-2022 dated 28-11-2022, Sri Jamshed Ali, Special Judge/ Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar is appointed/posted as Presiding, Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kushinagar at Padrauna.

No. 1616/Admin.(Services)/2022-On reversion to regular line and pursuant to the Government Notification No. 909/II-4-2022 dated 28-11-2022, Sri Surya Prakash Sharma, Legal Adviser, Uttar Pradesh State Road Transport Corporation, Lucknow is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Barabanki.

No. 1617/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No. 909/II-4-2022 dated 28-11-2022, Sri Rajendra Singh-IV, Additional District & Sessions Judge, Fatehpur is appointed/ posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Faizabad.

No. 1618/Admin.(Services)/2022-On reversion to the regular line, Sri Udai Pratap Singh, Registrar (Judicial) (Accounts), High Court, Lucknow Bench, Lucknow is appointed/posted as Presiding Officer in the Commercial Court, Court No. 2, Gautam Buddha Nagar *i.e.* new Additional Commercial Court created vide G.O. No.-20-2022-772-Saat-Nyay-2-2022-129 G-2015 dated 12-09-2022.

No. 1619/Admin.(Services)/2022-Sri Bans Bahadur Yadav, Additional District & Sessions Judge, Mainpuri is appointed/posted as Presiding Officer, Commercial Court, Kanpur Nagar.

No. 1620/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No. 909/II-4-2022 dated 28.11,2022, Sri Mahendra Nath, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Balrampur is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Raebareli.

No. 1621/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No. 909/II-4-2022 dated 28-11-2022, Sri Ram Kesh, Additional District & Sessions Judge, Budaun is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Budaun.

No. 1622/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No. /2022/1007/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001, dated 22-11-2022, Sri Anand Prakash-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kannauj is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Etawah.

No. 1623/Admin.(Services)/2022-Pursuant to the Government Notification No. 909/II-4-2022 dated 28-11-2022, Sri Ajay Krishna, Additional District & Sessions Judge, Sitapur is appointed/ posted as Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Authority, Lucknow.

No. 1624/Admin.(Services)/2022-Smt. Chitra Sharma, Additional District & Sessions Judge, Kaushambi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kaushambi for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Rakesh Kumar-V.

No. 1625/Admin.(Services)/2022-Sri Rakesh Kumar-V, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kaushambi to be Additional District & Sessions Judge, Kaushambi.

No. 1626/Admin.(Services)/2022-Sri Manoj Kumar-I, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Banda to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Banda for trying cases of crime against women *vice* Sri Gunandra Prakash. .

No. 1627/Admin.(Services)/2022-Sri Gunandra Prakash, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Banda to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Banda *vice* Sri Niranjan Kumar.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Banda against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1628/Admin.(Services)/2022-Sri Niranjan Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Banda to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Banda *vice* Smt. Shaila.

He is also appointed under section 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Banda against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1629/Admin.(Services)/2022-Smt. Shaila, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Banda to be Special Judge, Banda for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Mohammed Qamruzzama Khan.

No. 1630/Admin.(Services)/2022-Sri Mohammed Qamruzzama Khan, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Banda to be Additional District & Sessions Judge, Banda.

No. 1631/Admin.(Services)/2022-Sri Abhishek Kumar Bagaria, Additional District & Sessions Judge, Faizabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Faizabad *vice* Sri Amit Kumar Pande.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Faizabad against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1632/Admin.(Services)/2022-Sri Amit Kumar Pande, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Faizabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Faizabad for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Radhe Shyam Yadav-II.

No. 1633/Admin.(Services)/2022-Sri Radhe Shyam Yadav-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge Faizabad to be Additional District & Sessions Judge, Faizabad.

No. 1634/Admin.(Services)/2022-Sri Vijay Kumar Himanshu, Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kushinagar at Padrauna for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Sunil Kumar Yadav.

No. 1635/Admin.(Services)/2022-Sri Sunil Kumar Yadav, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna to be Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna.

No. 1636/Admin.(Services)/2022-Sri Vijay Kumar-II, Additional District & Sessions Judge, Rampur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Rampur *vice* Sri Amit Veer Singh.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Rampur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1637/Admin.(Services)/2022-Sri Amit Veer Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Rampur to be Additional District & Sessions Judge, Rampur.

No. 1638/Admin.(Services)/2022-Sri Prabhu Narayan Pandey, Additional District & Sessions Judge, Rampur to be Additional. District & Sessions Judge/Special Judge, Rampur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Sanjeev Kumar Tiwari.

No. 1639/Admin.(Services)/2022-Sri Sanjeev Kumar Tiwari, Special Judge/Additional District &

Sessions Judge, Rampur to be Additional District & Sessions Judge, Rampur.

No. 1640/Admin.(Services)/2022-Smt. Archana-I, Additional District & Sessions Judge, Chandauli to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Chandauli for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Vinay Kumar Singh-III.

No. 1641/Admin.(Services)/2022-Sri Vinay Kumar Singh-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Chandauli to be Additional District & Sessions Judge, Chandauli.

No. 1642/Admin.(Services)/2022-Sri Himanshu Dayal Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Siddharth Nagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Siddharth Nagar for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Ashok Kumar-IX.

No. 1643/Admin.(Services)/2022-Sri Ashok Kumar-IX, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Siddharth Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Siddharth Nagar,

No. 1644/Admin.(Services)/2022-Sri Achchhe Lal Saroj, Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Hardoi *vice* Smt. Priti Srivastava-II.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Hardoi against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1645/Admin.(Services)/2022-Smt. Priti Srivastava-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Hardoi for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989).

No. 1646/Admin.(Services)/2022-Sri Ajay Pal Singh-II, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Anti-corruption (VB-UPSEB), Meerut *vice* Sri Brajesh Mani Tripathi.

No. 1647/Admin.(Services)/2022-Sri Brajesh Mani Tripathi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Meerut *vice Sri* Amber Rawat.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Meerut against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1648/Admin.(Services)/2022-Sri Amber Rawat, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Meerut for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Suresh Chand-II.

No. 1649/Admin.(Services)/2022-Sri Suresh Chand-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge, Meerut.

No. 1650/Admin.(Services)/2022-Sri Prabha Nath Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Basti *vice* Sri Sheo Chand.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Basti against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1651/Admin.(Services)/2022-Sri Sheo Chand, Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Basti for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Sunil Kumar Srivastava.

No. 1652/Admin.(Services)/2022-Sri Sunil Kumar Srivastava, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge, Basti.

No. 1653/Admin.(Services)/2022-Smt. Aparna Pandey, Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Saharanpur *vice* Sri Prakash Tiwari.

She is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Saharanpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1654/Admin.(Services)/2022-Sri Prakash Tiwari, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge, Saharanpur.

No. 1655/Admin.(Services)/2022-Sri Mohd. Rashid, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Agra *vice* Sri Ravi Kant-III.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provision) Act, 1981, as Special Judge at Agra against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1656/Admin.(Services)/2022-Sri Ravi Kant-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Agra *vice* Dr. Laxmi Kant Rathaur.

He is also appointed under section 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Agra against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1657/Admin.(Services)/2022-Sri Laxmi Kant Rathaur, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Agra for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Vinod Kumar Barnwal.

No. 1658/Admin.(Services)/2022-Sri Vinod Kumar Barnwal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge, Agra.

No. 1659/Admin.(Services)/2022-Sri Kamla Pati-I, Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Muaffarnagar *vice* Sri Gopal Upadhyaya.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Muzaffarnagar against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1660/Admin.(Services)/2022-Sri Gopal Upadhyaya, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar.

No. 1661/Admin.(Services)/2022-Sri Rajnish Kumar-I, Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Muzaffarnagar for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989).

No. 1662/Admin.(Services)/2022-Sri Ravi Kant-II, Additional District & Sessions Judge, Fatehpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Fatehpur *vice* Sri Pramod Kumar Gangwar.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Fatehpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1663/Admin.(Services)/2022-Sri Pramod Kumar Gangwar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Fatehpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Fatehpur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989).

No. 1664/Admin.(Services)/2022-Smt. Mita Singh, Additional District & Sessions Judge, Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mainpuri *vice* Smt. Poonam Rajput.

She is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Mainpuri against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1665/Admin.(Services)/2022-Smt. Poonam Rajput, Special Judge/Additional District & Sessions

Judge, Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mainpuri *vice* Sri Champat Singh.

She is also appointed under section 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Mainpuri against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1666/Admin.(Services)/2022-Sri Champat Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mainpuri for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Smt. Munawar Jahan.

No. 1667/Admin.(Services)/2022-Smt. Munawar Jahan, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge, Mainpuri.

No. 1668/Admin.(Services)/2022-Sri Vimal Prakash Arya, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Balrampur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Balrampur for trying cases of crime against women *vice* Sri Jahendra Pal Singh.

No. 1669/Admin.(Services)/2022-Sri Jahendra Pal Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Balrampur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Balrampur in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 *vice* Sri Mahendra Nath.

No. 1670/Admin.(Services)/2022-Sri Mohd. Shariq Siddique, Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Budaun *vice* Sri Akhilesh Kumar.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Budaun against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1671/Admin.(Services)/2022-Sri Akhilesh Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Budaun *vice* Sri Irfan Ahmad.

He is also appointed under section 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Budaun against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1672/Admin.(Services)/2022-Sri Irfan Ahmad, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Budaun for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Udai Bhan Singh.

No. 1673/Admin.(Services)/2022-Sri Udai Bhan Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

No. 1674/Admin.(Services)/2022-Sri Shiv Kumar Tiwari, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kannauj to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kannauj for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989).

No. 1675/Admin.(Services)/2022-Sri Santosh Kumar-II, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Sitapur *vice* Sri Abid Shamim.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Sitapur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1676/Admin.(Services)/2022-Sri Abid Shamim, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 1677/Admin.(Services)/2022-Sri Ram Bilash Singh, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Sitapur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Rakesh Verma.

No. 1678/Admin.(Services)/2022-Sri Rakesh Verma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 1679/Admin.(Services)/2022-Sri Sunil Kumar Singh-III, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Auraiya to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Auraiya for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Sanjay Kumar Singh-II.

No. 1680/Admin.(Services)/2022-Sri Sanjay Kumar Singh-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Auraiya to be Additional District & Sessions Judge, Auraiya.

December 01, 2022

No. 1681/Admin.(Services)/2022-Sri Pushpender Singh, Additional District & Sessions Judge, Mau to be Additional District & Sessions Judge, Hathras.

No. 1682/Admin.(Services)/2022-Smt. Ritika Tyagi, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bulandshahar for trying cases of crime against women.

No. 1683/Admin.(Services)/2022-Sri Saurabh Goel, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 1684/Admin.(Services)/2022-Sri Manoj Kumar-I, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Banda to be Additional District & Sessions Judge, Bijnor.

No. 1685/Admin.(Services)/2022-Sri Chhote Lal Yadav, Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Banda *vice* Sri Niranjan Kumar.

He is also appointed under section 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Banda against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1686/Admin.(Services)/2022-Sri Niranjan Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Banda to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Banda for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no.33 of 1989) *vice* Smt. Shaila.

No. 1687/Admin.(Services)/2022-Smt. Shaila, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Banda to be Additional District & Sessions Judge, Bijnor.

No. 1688/Admin.(Services)/2022-Sri Anil Kumar-IV, Additional District & Sessions Judge, Kasganj to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 1689/Admin.(Services)/2022-Sri Dinesh Kumar Chaurasia, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mau to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mau for trying cases of crime against women *vice* Sri Abhinay Kumar Mishra.

No. 1690/Admin.(Services)/2022-Sri Abhinay Kumar Mishra, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mau to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mau for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Smt. Lalita Gupta.

No. 1691/Admin.(Services)/2022-Smt. Lalita Gupta, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mau to be Additional District & Sessions Judge, Aligarh.

No. 1692/Admin.(Services)/2022-Smt. Sneha Negi, Additional Principal Judge, Family Court, Gautam Buddha Nagar to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mainpuri for tying cases of crime against women *vice* Km. Anita-I.

No. 1693/Admin.(Services)/2022-Km. Anita-I, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mainpuri in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sri Rajesh Kumar Mishra.

No. 1694/Admin.(Services)/2022-Sri Rajesh Kumar Mishra, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge, Gautam Buddha Nagar.

No. 1695/Admin.(Services)/2022-Smt. Bushra Adil Rizvi, Additional Principal Judge, Family

Court, Meerut to be Additional District & Sessions Judge, Gautam Buddha Nagar.

No. 1696/Admin.(Services)/2022-Sri Avinash Chandra Mishra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Basti *vice* Sri Prabha Nath Tripathi.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Basti against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1697/Admin.(Services)/2022-Sri Prabha Nath Tripathi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 1698/Admin.(Services)/2022-Smt. Bhawna Gupta, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Meerut for trying cases of crime against women *vice* Sri Nusrat Khan.

No. 1699/Admin.(Services)/2022-Sri Nusrat Khan, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Meerut to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Meerut in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sri Ankit Kumar Mittal.

No. 1700/Admin.(Services)/2022-Sri Ankit Kumar Mittal, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Meerut to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Maharajganj for trying cases of crime against women *vice* Sri Anil Kumar Seth.

No. 1701/Admin.(Services)/2022-Sri Anil Kumar Seth, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Maharajganj to be Additional District & Sessions Judge, Maharajganj.

No. 1702/Admin.(Services)/2022-Sri Vijendra Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lucknow in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 *vice* Sri Arvind Misra.

No. 1703/Admin.(Services)/2022-Sri Arvind Misra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghazipur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Sanjay Kumar Yadav-I.

No. 1704/Admin.(Services)/2022-Sri Sanjay Kumar Yadav-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge, Ghazipur.

No. 1705/Admin.(Services)/2022-Sri Durgesh, Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghazipur *vice* Sri Kush Kumar.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Ghazipur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1706/Admin.(Services)/2022-Sri Kush Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ghazipur for trying cases of crime against women.

No. 1707/Admin.(Services)/2022-Smt. Reema Malhotra, Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Muzaffarnagar for trying cases of crime against women.

No. 1708/Admin.(Services)/2022-Sri Sumit Panwar, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Muzaffarnagar to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pratapgarh in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sri Niraj Kumar Baranwal.

No. 1709/Admin.(Services)/2022-Sri Niraj Kumar Baranwal, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pratapgarh for trying cases of crime against women *vice* Sri Kundan Kishor.

No. 1710/Admin.(Services)/2022-Sri Kundan Kishor, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh.

No. 1711/Admin.(Services)/2022-Smt. Poornima Pathak, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Sitapur for trying cases of crime against women.

No. 1712/Admin.(Services)/2022-Sri Abhishek Upadhyaya, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Sitapur in the court created under 14th Finance Commission.

No. 1713/Admin.(Services)/2022-Sri Prem Prakash, Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Special Court, Anti-corruption, C.B.I., Court No. 05, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 1714/Admin.(Services)/2022-Sri Vikas Goswami, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar.

No. 1715/Admin.(Services)/2022-Smt. Indu Dwivedi, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge/Special. Judge, Ghaziabad *vice* Sri Mukesh Kumar Singh-I.

She is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Ghaziabad against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1716/Admin.(Services)/2022-Sri Mukesh Kumar Singh-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 1717/Admin.(Services)/2022-Sri Hira Lal-III, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghaziabad for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Ram Chandra Yadav-I.

No. 1718/Admin.(Services)/2022-Sri Ram Chandra Yadav-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Shravasti at Bhinga.

No. 1719/Admin.(Services)/2022-Sushri Mukta Tyagi, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Agra to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Agra.

No. 1720/Admin.(Services)/2022-Sri Mahendra Kumar-II, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Aligarh to be Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh *vice* Sri Sandeep.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Aligarh.

No. 1721/Admin.(Services)/2022-Sri Sandeep, Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh.

No. 1722/Admin.(Services)/2022-Sri Ankur Garg, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Allahabad to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Allahabad.

No. 1723/Admin.(Services)/2022-Smt. Anshu Shukla, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Ambedkar Nagar at Akbarpur to be Additional Civil Judge, Senior Division, Ambedkar Nagar at Akbarpur in the newly created court created vide G.O. No. 10/2016/870/Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06.07.2016.

No. 1724/Admin.(Services)/2022-Sri Devendra Pratap Singh, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Azamgarh to be Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Azamgarh.

No. 1725/Admin.(Services)/2022-Sri Bhagat Singh, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority Baghpat to be Additional Civil Judge, Senior Division, Baghpat.

No. 1726/Admin.(Services)/2022-Sri Sarvesh Kumar Mishra, Secretary (Full Time), District Legal

Services Authority, Ballia to be Additional Chief Judicial Magistrate, Ballia.

No.1727/Admin.(Services)/2022-Sri Gyanendra Kumar-II, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Balrampur to be Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Balrampur.

No. 1728/Admin.(Services)/2022-Sri Adarsh Srivastava, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Barabanki to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Barabanki.

No. 1729/Admin.(Services)/2022-Sri Umesh Yadav, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Basti to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Basti.

No. 1730/Admin.(Services)/2022-Sri Pappu Kumar Singh, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Bijnor to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Bijnor.

No. 1731/Admin.(Services)/2022-Sri Mohd. Sajid-I, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Budaun to be Additional, Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Budaun.

No. 1732/Admin.(Services)/2022-Sri Sandeep Kumar, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Chandauli to be Additional Civil Judge, Senior Division, Chandauli in the newly created court, created vide G.O. No. 10/2016/870/Saat-Nyay-2-2016- 85G/2012 dated 06.07.2016.

No. 1733/Admin.(Services)/2022-Sri Jasveer Singh Yadav, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Etawah to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Etawah.

No. 1734/Admin.(Services)/2022-Smt, Richa Verma, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Faizabad to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Faizabad.

No. 1735/Admin.(Services)/2022-Sri Shivam Kumar, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Farrukhabad to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Farrukhabad.

No. 1736/Admin.(Services)/2022-Sushri Roma Gupta, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Fatehpur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Fatehpur *vice* Smt. Anuradha Shukla.

She is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Fatehpur.

No. 1737/Admin.(Services)/2022-Smt. Anuradha Shukla, Additional Chief Judicial Magistrate, Fatehpur to be Civil Judge (Senior Division), Fatehpur *vice* Sri Raj Babu.

No. 1738/Admin.(Services)/2022-Sri Raj Babu, Civil Judge (Senior Division), Fatehpur to be Chief Judicial Magistrate, Fatehpur *vice* Smt. Manju Kumari.

No. 1739/Admin.(Services)/2022-Smt. Manju Kumari, Chief Judicial Magistrate, Fatehpur to be Civil Judge (Senior Division), Deoria *vice* Sri Vivek Kumar Singh-I.

No. 1740/Admin.(Services)/2022-Sri Vivek Kumar Singh-II, Civil Judge (Senior Division), Deoria to be Additional Chief Judicial Magistrate, Deoria *vice* Sri Sundar Pal.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Deoria.

No. 1741/Admin.(Services)/2022-Sri Sundar Pal, Additional Chief Judicial Magistrate, Deoria to be Additional Civil Judge (Senior Division), Deoria.

No.1742/Admin.(Services)/2022-Smt. Minakshi Sinha, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Firozabad to be Additional Chief Judicial Magistrate, Firozabad *vice* Sri Atul Chaudhary.

She is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Firozabad.

No. 1743/Admin.(Services)/2022-Sri Atul Chaudhary, Additional Chief Judicial Magistrate, Firozabad to be Civil Judge (Senior Division), Firozabad *vice* Piyush Siddhartha.

No. 1744/Admin.(Services)/2022-Sri Piyush Siddhartha, Civil Judge (Senior Division), Firozabad to be Chief Judicial Magistrate, Firozabad *vice* Sri Rajmangal Singh Yadav.

No.1745/Admin.(Services)/2022-Sri Rajmangal Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Firozabad to be Judge Small Causes Court, Meerut *vice* Sri Dhirendra Singh.

No. 1746/Admin.(Services)/2022-Sri Dhirendra Singh, Judge Small Causes Court, Meerut to be Chief Judicial Magistrate, Meerut *vice* Sri Devendra Nath Goswami.

No. 1747/Admin.(Services)/2022-Sri Devendra Nath Goswami, Chief Judicial Magistrate, Meerut to be Civil Judge (Senior Division), Meerut *vice* Sri Hari Ram.

No. 1748/Admin.(Services)/2022-Sri Hari Ram, Civil Judge (Senior Division), Meerut to be Special Chief Judicial Magistrate, Meerut *vice* Sri Kuldeep Singh-III.

No. 1749/Admin.(Services)/2022-Sri Kuldeep Singh-III, Special Chief Judicial Magistrate, Meerut to be Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut *vice* Sri Vinay Kumar-II.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Meerut.

No. 1750/Admin.(Services)/2022-Sri Vinay Kumar-II, Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut.

No. 1751/Admin.(Services)/2022-Sri Parag Yadav, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut to be Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Meerut *vice* Sri Rameshwar Dayal.

No. 1752/Admin.(Services)/2022-Sri Rameshwar Dayal, Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Meerut to be Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna *vice* Smt. Kavita Singh.

No. 1753/Admin.(Services)/2022-Smt. Kavita Singh, Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna to be Additional Civil Judge (Senior Division), Kushinagar at Padrauna.

No. 1754/Admin.(Services)/2022-Sri Jaihind Kumar Singh, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Gautambuddha Nagar to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Gautambuddha Nagar.

No. 1755/Admin.(Services)/2022-Smt. Nutan Dwivedi, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Ghaziabad to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.

No. 1756/Admin.(Services)/2022-Sri Vishv Jeet Singh, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Gonda to be Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda *vice* Sushri Sushama.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Gonda.

No. 1757/Admin.(Services)/2022-Sushri Sushama, Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda to be Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda.

No. 1758/Admin.(Services)/2022-Sri Krishn Pratap Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda to be Additional Civil Judge, Senior Division, Gonda in the newly created court created vide G.O. No. 10/2016/870/Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06.07.2016.

No. 1759/Admin.(Services)/2022-Sri Devendra Kumar-II, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Gorakhpur to be Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Gorakhpur.

No. 1760/Admin.(Services)/2022-Sri Satyendra Singh Verma, Secretary (Full Time), District Legal

Services Authority, Hardoi to be Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Hardoi.

No.1761/Admin.(Services)/2022-Sushri Kumud Upadhyay, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Hathras to be Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Hathras *vice* Smt. Partibha.

No.1762/Admin.(Services)/2022-Smt. Partibha, Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Hathras to be Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Azamgarh.

No. 1763/Admin.(Services)/2022-Sri Vivek Vikram, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Jaunpur to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur.

No. 1764/Admin.(Services)/2022-Sri Sushil Kumar Singh, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Kanpur Nagar to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Metropolitan Magistrate, Kanpur Nagar.

No. 1765/Admin.(Services)/2022-Smt. Abha Pal, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Kaushambi to be Additional Civil Judge, Senior Division, Kaushambi in the newly created court created vide G.O. No. 10/2016/870/Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06.07.2016.

No. 1766/Admin.(Services)/2022-Sri Avinash Chandra Gautam, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Lakhimpur Kheri to be to be Additional Civil Judge, Senior Division, Lakhimpur Kheri in the newly created court created vide G.O. No.10/2016/870/Saat-Nyay-2- 2016-85G/ 2012 dated 06.07.2016.

No. 1767/Admin.(Services)/2022-Smt. Niharika Jaiswal, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Lucknow to be Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow.

No. 1768/Admin.(Services)/2022-Sri Asgar Ali-I, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Maharajganj to be Additional Civil Judge, Senior Division, Maharajganj.

No. 1769/Admin.(Services)/2022-Sri Sanjiv Kumar Tripathi, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Mahoba to be Additional Civil Judge (Senior Division), Mahoba.

No. 1770/Admin.(Services)/2022-Smt. Jyotsna Yadav, Additional Civil Judge (Senior Division), Mahoba to be Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Mahoba *vice* Sri Anshuman Dhunna.

No.1771/Admin.(Services)/2022-Sri Anshuman Dhunna, Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Mahoba to be Additional Civil Judge (Senior Division), Bijnor in the newly created court created vide G.O. No. 10/2016/870/Saat-Nyay-2-2016-85G/ 2012 dated 06.07.2016.

No. 1772/Admin.(Services)/2022-Sri Gaurav Prakash, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Mainpuri to be Additional Civil Judge, Senior Division, Mainpuri in the newly created court created vide G. O. No. 10/2016/870/ Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06.07.2016,

No. 1773/Admin.(Services)/2022-Sushri Sonika Verma, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Mathura to be Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Mathura.

No. 1774/Admin.(Services)/2022-Sri Kuwar Mitresh Singh Kushwaha, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Mau to be Additional Civil Judge, Senior Division, Mau.

No. 1775/Admin.(Services)/2022-Sushri Pragya Singh-III, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Mirzapur to be Additional Civil Judge, Senior Division, Mirzapur in the newly created court created vide G.O. No. 10/2016/870/ Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06.07.2016.

No. 1776/Admin.(Services)/2022-Sri Sachin Kumar Dixit, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Moradabad to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Moradabad.

No. 1777/Admin.(Services)/2022-Smt. Saloni Rastogi, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Muzaffar Nagar to be Additional

Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Muzaffar Nagar.

No. 1778/Admin.(Services)/2022-Sri Amit Kumar Yadav-II, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Pilibhit to be Additional Civil Judge, Senior Division, Pilibhit in the newly created court created vide G.O. No. 10/ 2016/870/Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06.07.2016.

No. 1779/Admin.(Services)/2022-Sri Anupam Dubey, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Pratapgarh to be Additional Civil Judge, Senior Division, Pratapgarh.

No. 1780/Admin.(Services)/2022-Sri Abhinav Jain, Sécretary (Full Time), District Legal Services Authority, Raebareli to be Additional Civil Judge, Senior Division, Raebareli in the newly created court created vide G.O. No. 10/2016/870/ Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06.07.2016.

No. 1781/Admin.(Services)/2022-Smt. Sangeeta-I, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Ramabai Nagar/Kanpur Dehat to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar/Kanpur Dehat.

No. 1782/Admin.(Services)/2022-Sri Ramesh Kushwaha, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Rampur to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Rampur.

No. 1783/Admin.(Services)/2022-Smt. Sumita, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Saharanpur to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Saharanpur.

No.1784/Admin.(Services)/2022-Smt. Meenakshi Sonkar, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority Sant Kabir Nagar to be Additional Civil Judge, Senior Division, Sant Kabir Nagar.

No. 1785/Admin.(Services)/2022-Sri Ashutosh Tiwari, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Shahjahanpur to be Additional Civil Judge, Senior Division, Shahjahanpur in the newly created court created vide G.O. No. 10/2016/870 /Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06.07.2016.

No. 1786/Admin.(Services)/2022-Sri Mritunjay Srivastava, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Shrawasti at Bhinga to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Shravasti at Bhinga in the vacant court.

No. 1787/Admin.(Services)/2022-Sri Chandra Mani, Secretary (Full rime), District Legal Services Authority, Siddharth Nagar to be Additional Civil Judge, Senior Division, Siddharth Nagar in the newly created court created vide G.O. No. 10/2016/ 870/Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06.07.2016.

No. 1788/Admin.(Services)/2022-Smt. Sudesh Kumari, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Sitapur to be Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Sitapur.

No. 1789/Admin.(Services)/2022-Sri Vinay Kumar Singh-IV Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Sonbhadra to be Additional Civil Judge, Senior Division, Sonbhadra in the newly created court created vide G.O. No. 10/2016/870/Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06.07.2016.

No. 1790/Admin.(Services)/2022-Sri Bateshwar Kumar, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Sultanpur to be Additional Civil Judge, Senior Division Additional Chief Judicial Magistrate, Sultanpur.

No. 1791/Admin.(Services)/2022-Sri Raghuvansh Mani Singh, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Unnao to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Unnao.

No. 1792/Admin.(Services)/2022-Smt. Shikha Yadav, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Varanasi to be Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi *vice* Sri Nitesh Kumar Sinha.

She is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Varanasi.

No. 1793/Admin.(Services)/2022-Sri Nitesh Kumar Sinha, Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi to be Special Chief Judicial Magistrate, Varanasi *vice* Sri Ashwani Kumar-I.

No. 1794/Admin.(Services)/2022-Sri Ashwani Kumar-I, Special Chief Judicial Magistrate, Varanasi to be Civil Judge (Senior Division), Varanasi *vice* Smt. Kumud Lata Tripathi.

No. 1795/Admin.(Services)/2022-Smt. Kumud Lata Tripathi, Civil Judge (Senior Division), Varanasi to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Metropolitan Magistrate, Kanpur Nagar.

No. 1796/Admin.(Services)/2022-Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. 714/Do-4- 2022 dated 06-10-2022, Sri Sagar Tayal, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Firozabad against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Kapil Yadav.

No. 1797/Admin.(Services)/2022-Sri Kapil Yadav, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Firozabad to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Firozabad for trying cases of crime against women *vice* Smt. Ruchi Bhati.

No. 1798/Admin.(Services)/2022-Smt. Ruchi Bhati, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Firozabad to be Additional Civil Judge (Junior Division), Firozabad.

No. 1799/Admin.(Services)/2022-Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. 823/Do-4-2022 dated 19-10-2022, Sushri Garima Singh, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Budaun against the Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sushri Aradhna Singh.

No. 1800/Admin.(Services)/2022-Sushri Aradhna Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Budaun to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Budaun for trying cases of crime against women *vice* Sri Yatendra Pal Singh.

No. 1801/Admin.(Services)/2022-Sri Yatendra Pal Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Budaun to be Additional Civil Judge (Junior Division), Budaun.

No. 1802/Admin.(Services)/2022-Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. 823/Do-4-2022 dated 19-10-2022, Sushri Radha Kulshreshtha, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Saharanpur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sushri Shilpa Jain.

No. 1803/Admin.(Services)/2022-Sushri Shilpa Jain, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Saharanpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Saharanpur for trying cases of crime against women *vice* Sushri Huma.

No. 1804/Admin.(Services)/2022-Sushri Huma, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Saharanpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Saharanpur.

No. 1805/Admin.(Services)/2022-Sri Girendra Singh, Civil Judge (Junior Division), Duddhi, Sonbhadra is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Amroha *vice* Sushri Isha Chaudhary.

No. 1806/Admin.(Services)/2022-Sushri Isha Chaudhary, Judicial Magistrate, First Class, Amroha to be Additional Civil Judge (Junior Division), Amroha.

No. 1807/Admin.(Services)/2022-Sri Tushar Jaiswal, Additional Civil Judge (Junior Division), Konch (Jalaun at Orai) to be Civil Judge (Junior Division), Konch (Jalaun at Orai) *vice* Smt. Abhishikta Yadav.

No. 1808/Admin.(Services)/2022-Smt. Abhishikta Yadav, Civil Judge (Junior Division), Konch (Jalaun at Orai) to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Faizabad for trying cases of crime against women *vice* Sri Anshuman Yadav.

No. 1809/Admin.(Services)/2022-Sri Anshuman Yadav, Civil Judge, Junior Division (Fast Track

Court), Faizabad to be Additional Civil Judge (Junior Division), Faizabad.

No. 1810/Admin.(Services)/2022-Sri Amit Kumar Yadav-III, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Madihan (Mirzapur) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Faizabad.

No. 1811/Admin.(Services)/2022-Sri Vikas Verma-II, Additional Civil Judge (Junior Division), Kannauj to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kannauj for trying cases of crime against women *vice* Sushri Aruna Singh.

No. 1812/Admin.(Services)/2022-Sushri Aruna Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kannauj to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kannauj against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Rohit Soni.

No. 1813/Admin.(Services)/2022-Sri Rohit Soni, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kannauj to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Rampur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Adarsh Kumar Singh.

No. 1814/Admin.(Services)/2022-Sri Adarsh Kumar Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Rampur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Rampur for trying cases of crime against women *vice* Sushri Sadhana Singh.

No. 1815/Admin.(Services)/2022-Sushri Sadhana Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Rampur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Rampur.

No.1816/Admin.(Services)/2022-Sushri Harshita, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Hamirpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Hamirpur for trying cases of crime against women *vice* Sushri Anchal Rana.

No.1817/Admin.(Services)/2022-Sushri Anchal Rana, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Hamirpur to be Civil Judge (Junior Division), Hamirpur *vice* Smt. Deepti Singh.

No. 1818/Admin.(Services)/2022-Smt. Deepti Singh, Civil Judge Junior Division), Hamirpur to be Civil Judge (Junior Division), Bijnor *vice* Sushri Diksha Tyagi.

No. 1819/Admin.(Services)/2022-Sushri Diksha Tyagi, Civil Judge (Junior Division), Bijnor to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bijnor.

No. 1820/Admin.(Services)/2022-Sri Shivam Verma, Additional Civil Judge (Junior Division), Agra to be Additional Civil Judge (Junior Division), Ghaziabad.

No. 1821/Admin.(Services)/2022-Sri Harihar Gupta, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Kiravali (Agra) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Meerut.

No. 1822/Admin.(Services)/2022-Smt. Pragya Singh-V, Additional Civil Judge (Junior Division), Agra to be Additional Civil Judge (Junior Division), Meerut.

No. 1823/Admin.(Services)/2022-Smt. Swati Verma-I, Additional Civil Judge (Junior Division), Meerut to be to Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna for trying cases of crime against women in the vacant court.

No. 1824/Admin.(Services)/2022-Sri Shrayansh Niranjan, Metropolitan Magistrate, First Class, Kanpur Nagar to be Additional Civil Judge Junior Division), Kanpur Nagar.

No. 1825/Admin.(Services)/2022-Sri Adarsh Amol, Additional Civil Judge (Junior Division), Kanpur Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Ambedkar Nagar at Padrauna.

No. 1826/Admin.(Services)/2022-Sri Arun Singh, Judicial Magistrate, First Class, Shamli at Kairana is appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Sonbhadra *vice* Sri Arun Kumar Pandey.

No. 1827/Admin.(Services)/2022-Sri Arun Kumar Pandey, Judicial Magistrate, First Class, Sonbhadra to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sonbhadra for trying cases of crime against women in the vacant court.

December 02, 2022

No. 1828/Admin.(Services)/2022-Court's notification No. 1690/Admin.(Services)/2022 dated 01-12-2022 is hereby cancelled.

No. 1829/Admin.(Services)/2022-The words 'Ambedkar Nagar at Padrauna' as mentioned in the Court's notification No. 1825/Admin.(Services) /2022 dated 01-12-2022 be read as 'Ambedkar Nagar at Akbarpur'.

December 03, 2022

No. 1830/Admin.(Services)/2022-In partial modification in Court's Notification No. 1820/ Admin. (Services)/2022 dated 01-12-2022, Sri Shivam Verma, Additional Civil Judge, Junior Division, Agra to be Special Judicial Magistrate, First Class, Ghaziabad (For trying cases relating to C.B.I. Cases) established under Government Notification No. 1686/VIII-Nyaya-2-2001-739/87 T.C.-II dated 28.12.2001, in the vacant court.

No. 1831/Admin.(Services)/2022-Court's notification No. 1689/Admin.(Services)/2022 dated 01-12-2022 is hereby cancelled.

No. 1832/Admin.(Services)/2022-On reversion to regular line, Sri Gyanendra Rao, Presiding Officer, U.P. Avas Evam Vikas Parishad/Nagar Mahapalika (Nagar Nigam) Tribunal, Agra to be Additional District & Sessions Judge, Agra.

December 10, 2022

No. 1833/Admin.(Services)/2022-Sri Siyaram Chaurasia, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Auraiya for trying cases U/s 14 of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Sunil Kumar Singh-III.

No. 1834/Admin.(Services)/2022-Sri Sunil Kumar Singh-III Special Judge/Additional District & Sessions Judge Auraiya to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Auraiya for trying cases of crime against women.

No. 1835/Admin.(Services)/2022-Sri Alok Dubey, Additional District & Sessions Judge, Rampur to be Additional District & Sessions Judge, Allahabad.

December 12, 2022

No. 1836/Admin.(Services)/2022-Sri Dev Kant Shukla, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Anti-corruption (V.B.UPSEB), Varanasi *vice* Sri Rakesh Pandey.

No. 1837/Admin.(Services)/2022-Sri Rakesh Pandey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Varanasi *vice* Sri Anil Kumar-V.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities Special Provisions Act, 1981, as Special Judge at Varanasi against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1838/Admin.(Services)/2022-Sri Anil Kumar-V, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 1839/Admin.(Services)/2022-Smt. Rashmi Nanda, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Varanasi for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Sanjeev Kumar Sinha.

No. 1840/Admin.(Services)/2022-Sri Sanjeev Kumar Sinha, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 1841/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government O.M. No. 957/Do-4-2022 dated 12-12-2022, Sri Kiran Pal Singh, Additional District & Sessions Judge, Varanasi is appointed/posted as Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority, Varanasi.

No. 1842/Admin.(Services)/2022-Sri Arun Kumar Pandey, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sonbhadra is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Sonbhadra *vice* Sri Arun Singh.

No. 1843/Admin.(Services)/2022-Sri Arun Singh, Judicial Magistrate, First Class, Sonbhadra to be Civil Judge, Junior Division, Duddhi (Sonbhadra) in the vacant court.

He is also appointed under section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Duddhi (Sonbhadra).

December 20, 2022

No. 1844/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No. /2022/1152/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 20-12-2022, Smt. Lalita Gupta, Additional District & Sessions Judge, Aligarh is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Aligarh.

No. 1845/Admin.(Services)/2022-Sri Gopal Ji, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bulandshahar for trying cases of crime against women.

No. 1846/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No./2022/1152/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 20-12-2022, Smt. Vineeta Vimal, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bulandshahar is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Bulandshahar.

No. 1847/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No./2022/1152/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 20-12-2022, Smt. Bushra Adil Rizvi, Additional District & Sessions Judge, Gautam Buddh Nagar is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Gautam Buddh Nagar.

No. 1848/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No./2022/1152/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 20-12-2022, Smt. Sangita Kumari, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Ghaziabad.

No. 1849/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No./2022/1152/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 20-12-2022, Smt. Rekha Singh, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar.

No. 1850/Admin.(Services)/2022-Sri Vinay Singh, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Lucknow for trying cases of crime against women *vice* Smt. Archana Yadav.

No. 1851/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No./2022/1152/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 20-12-2022, Smt. Archana Yadav, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Lucknow is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Lucknow.

December 23, 2022

No. 1852/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No. 96/Chh-Pu.-9-22-332G/91, T.C.-Nyay-2 dated 22-12-2022, Sri Suresh Kumar Gupta, Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Special Court No. 1 (Prevention of Corruption Act), Bareilly.

No. 1853/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No. 96/Chh-Pu.-9-22-332G/91T.C.-Nyay-2 dated 22-12-2022, Sri Pran Vijay Singh, Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Special Court No. 2 (Prevention of Corruption Act), Bareilly.

No. 1854/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No. 96/Chh-Pu.-9-22-332G/91T.C.-Nyay-2 dated 22-12-2022, Smt. Rekha Sharma, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 2 (Prevention of Corruption Act), Lucknow.

No. 1855/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No. 96/Chh-Pu.-9-22-332G/91T.C.-Nyay-2 dated 22-12-2022, Sri Prabha Nath Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 4 (Prevention of Corruption Act), Lucknow.

No. 1856/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No.96/Chh-Pu.-9-22-332G/91T.C.-Nyay-2 dated 22-12-2022, Sri Pawan Kumar Shukla, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 2 (Prevention of Corruption Act), Meerut.

No. 1857/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No. 96/Chh-Pu.-9-22-332G/91T.C.-Nyay-2 dated 22-12-2022, Sri Rajat Verma, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 2 (Prevention of Corruption Act), Varanasi.

No. 1858/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No. 96/Chh-Pu.-9-22-332G/91T.C.-Nyay-2\dated 22-12-2022, Smt. Sapna Shukla, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 3 (Prevention of Corruption Act), Varanasi.

No. 1859/Admin.(Services)/2022-Pursuant to U.P. Government Notification No. /2022/1146/Saat-Nyay-2-2022-216G/2007 T.C.-I dated 22-12-2022, Sri Amit Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Agra is appointed as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Kirawali District Agra.

No. 1860/Admin.(Services)/2022-Sushri Priya Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Mirzapur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mirzapur for trying cases of crime against women *vice* Sushri Astha Mishra.

No. 1861/Admin.(Services)/2022-Sushri Astha Mishra, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mirzapur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mirzapur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sushri Poonam Kumari Chauhan.

No. 1862/Admin.(Services)/2022-Pursuant to U.P. Government Notification No. /2022/1146/Saat-Nyay-2-2022-216G/2007 T.C.-I dated 22-12-2022, Sushri Poonam Kumari Chauhan, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mirzapur is appointed as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Madihan District Mirzapur.

December 24, 2022

No. 1863/Admin.(Services)/2022-On reversion to the regular line, Sri Rohit Agrawal, Additional Registrar at Hon'ble Supreme Court of India, New Delhi to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

December 30, 2022

No. 1864/Admin.(Services)/2022-Sri Viqar Ahmed Ansari, Presiding Officer, Commercial Court, Allahabad to be Chairman, Administrative Tribunal-III and Member, Administrative Tribunal-I, Lucknow.

No. 1865/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No. /2022/1180/Saat-Nyay -2-2022-58G/2001 dated 28-12-2022, Sri Kuldeep Kumar-II, District & Sessions Judge, Sitapur to be Principal Judge, Family Court, Bhadohi at Gyanpur.

No. 1866/Admin.(Services)/2022-Pursuant to Government Notification No./2022/1180/Saat-Nyay-2-2022-58G/2001 dated 28-12-2022, Sri Vijay Shanker Upadhyaya, District & Sessions Judge, Etah to be Principal Judge, Family Court, Jhansi.

No. 1867/Admin.(Services)/2022-Sri Sanjeev Shukla, Presiding Officer, Commercial Court, Faizabad to be District & Sessions Judge, Azamgarh.

No. 1868/Admin.(Services)/2022-Sri Anupam Kumar, Presiding Officer, Commercial Court, Gautam Buddh Nagar to be District & Sessions Judge, Etah.

No. 1869/Admin.(Services)/2022-Sri Davendra Singh, Presiding Officer, Commercial Court, Bareilly to be District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar.

No. 1870/Admin.(Services)/2022-Sri Manoj Kumar-III, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Ghaziabad to be District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 1871/Admin.(Services)/2022-Sri Sanjay Kumar-VII, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kasganj to be District & Sessions Judge, Ghazipur.

By order of the Hon'ble Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

20 मार्च, 2023 ई0

सं0-1054 / जी0एस0-592 / 2022-23—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-6 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या-4112 / जी0-158ए / 65 दिनांक 28 जनवरी, 2009 द्वारा तहसील छिबरामऊ के ग्राम नन्दलालपुर, जनपद कन्नौज की धारा-4क(2) के अधीन जारी विज्ञप्ति को निरस्त किया गया था।

चूंकि उक्त ग्राम में अधिनियम की धारा-24 के अधीन कब्जा परिवर्तन की पूर्ण की जा चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप अधिनियम की धारा-30 के अधीन चकबन्दी योजना प्रवृत होकर नवीन प्रदिष्ट चकों पर खातेदारों को भौमिक अधिकार उदभूत हो चुके थे। इस प्रकार ग्राम नन्दलालपुर के सम्बन्ध मे जारी धारा-6(1) की विज्ञप्ति संख्या-4112 / जी0-158ए / 65 दिनांक 28 जनवरी, 2009 की धारा-6(2) के प्राविधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त की जाती है फलस्वरूप ग्राम की चकबन्दी क्रियाओं के विषय में पूर्व की धारा-4क(2) के अधीन निर्गत विज्ञप्ति प्रभावी रहेगी।

सं0-1054 / जी0एस0-592 / 2022-23—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-6 के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या-4108 / जी0-158ए / 65 दिनांक 28 जनवरी, 2009 द्वारा तहसील छिबरामऊ के ग्राम करनौली, जनपद कन्नौज की धारा-4क(2) के अधीन जारी विज्ञप्ति को निरस्त किया गया था।

चूंकि उक्त ग्राम में अधिनियम की धारा-24 के अधीन कब्जा परिवर्तन की पूर्ण की जा चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप अधिनियम की धारा-30 के अधीन चकबन्दी योजना प्रवृत होकर नवीन प्रदिष्ट चकों पर खातेदारों को भौमिक अधिकार उदभूत हो चुके थे। इस प्रकार ग्राम करनौली के सम्बन्ध मे जारी धारा-6(1) की विज्ञप्ति संख्या-4108 / जी0-158ए / 65 दिनांक 28 जनवरी, 2009 की धारा-6(2) के प्राविधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त की जाती है फलस्वरूप ग्राम की चकबन्दी क्रियाओं के विषय में पूर्व की धारा-4क(2) के अधीन निर्गत विज्ञप्ति प्रभावी रहेगी।

21 मार्च, 2023 ई0

सं0-1102 / जी0-170 / 2022-23 / धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313 / आई0ए0-813 / 1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, पूर्व तहसील बिलग्राम वर्तमान तहसील सवायजपुर, जनपद हरदोई के ग्राम खम्हौरा पंच ाला में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-155 / जी0-170-65 दिनांक 09 जनवरी, 1997 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1103 / जी0-170 / 2022-23 / धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313 / आई0ए0-813 / 1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील बिग्राम, जनपद हरदोई के ग्राम कटरी परसोला में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-155 / जी0-170-65 दिनांक 09 जनवरी, 1997 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1104 / जी0-170 / 2022-23 / धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313 / आई0ए0-813 / 1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील बिग्राम, जनपद हरदोई के ग्राम संजलपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-155 / जी0-170-65 दिनांक 09 जनवरी, 1997 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1105 / जी0-धारा-6(1) / 2018-19(III)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313 / आई0ए0-813 / 1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील तिलहर, जनपद भााहजहांपुर के ग्राम मीरानपुर कटरा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3718 / जी0-215 / 62-06 दिनांक 05 अक्टूबर, 2006 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

22 मार्च, 2023 ई0

सं0-1123/जी0-167A/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं—

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1	2	3	4	5	6
1	कानपुर देहात	भोगनीपुर	भोगनीपुर	—	1—देवब्रह्मापुर 2—बरगंवा 3—मुरलीपुर

सं0-1124/जी0-213/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील कासगंज, जनपद कासगंज के ग्राम रामपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1096/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

23 मार्च, 2023 ई0

सं0-1153/जी0-125/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना अमेठी जनपद अमेठी के ग्राम डेढपसार में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1154/जी0-168/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सदर, जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम धन्नौर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1011/जी0-610/2016-17 दिनांक 16 फरवरी, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1155/जी0-160/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर के ग्राम मुनैवरपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1042/जी0-610/2012 दिनांक 21 फरवरी, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1156/जी0-153/2020-21/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील फरीदपुर, जनपद बरेली के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1342/जी0-610/2012 दिनांक 24 मार्च, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ—

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	धारा जिसके तहत प्रख्यापन होना है।
1	2	3	4	5	6
1	बरेली	फरीदपुर	भोगनीपुर	—	1—मानपुर त्रिलोक 2—शिवराजपुर

सं0-1157/जी0-430/धारा-6(1)/2022-23—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील एत्मादपुर, जनपद आगरा के ग्राम मुर्थरअलीपुर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3430/जी0-430/60-06 दिनांक 15 सितम्बर, 2006 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

24 मार्च, 2023 ई0

सं0-1171/जी0-226/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिधूना, जनपद औरैया के ग्राम एरवाकुइली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1172/जी0-159/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद के ग्राम भगतपुर रतन में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1173/जी0-159/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद के ग्राम गूंगानगला में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1174/जी0-159/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद के ग्राम मानपुर पट्टी ऐहतमाली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1175/जी0-159/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद के ग्राम मानपुर पट्टी मुस्तहकम में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1177/जी0-175/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित

अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बहराइच जनपद बहराइच के ग्राम सुहेलवा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1178/जी0-247/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील करछना परगना अरैल जनपद प्रयागराज के ग्राम मदनुआ उपरहार में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1179/जी0-250/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बेहट परगना मुजफ्फराबाद जनपद सहारनपुर के ग्राम चाऊपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1180/जी0-155/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसडीह परगना खरीद जनपद बलिया के ग्राम करम्मर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1181/जी0-167A/2022-23/धारा 52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना भोगनीपुर जनपद कानपुर के ग्राम कुंवरपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1182/जी0-181/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी परगना धुरियापुर जनपद गोरखपुर के ग्राम सिधौरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1183/जी0-181/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी परगना धुरियापुर जनपद गोरखपुर के ग्राम बरपरवाबाबू मुस्तकील में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1184/जी0-213/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कासगंज परगना सोरों जनपद कासगंज के ग्राम बहादुर नगर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1185/जी0-226/2021-22——उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिधूना जनपद औरैया के ग्राम उमरेड़ी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1187/जी0-236/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील नगीना, जनपद बिजनौर के ग्राम कालाखेड़ी में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3845/जी0-610/2012 दिनांक 14 अगस्त, 2013 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1188/जी0-266/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर के ग्राम तप्पा पचवारा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1250/जी0-266/56 दिनांक 25 जनवरी, 1986 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1189/जी0-176/2021-22/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, पूर्व तहसील चकिया वर्तमान तहसील नौगढ़, जनपद चन्दौली के ग्राम जमसोत में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1012/जी0-610/2016-17 दिनांक 16 फरवरी, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1190/जी0-176/2021-22/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, पूर्व तहसील चकिया वर्तमान तहसील नौगढ़, जनपद चन्दौली के ग्राम होरिला में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1012/जी0-610/2016-17 दिनांक 16 फरवरी, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1191/जी0-219/2021-22/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील दातागंज, जनपद बदायूं के ग्राम सैंजनी में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-1426/जी0-610/2012 दिनांक 25 मार्च, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1192/जी0-201/2022-23/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का

प्रयोग करते हुए मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील लालगंज, जनपद मीरजापुर के ग्राम सुल्तानीपुर चक नं0-2 में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-5822/जी0-610/2012 दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं0-1194/जी0-168A/2022-23/धारा52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सदर जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सहेरूआ में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1195/जी0-179/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील राबर्ट्सगंज परगना अगोरी जनपद सोनभद्र के ग्राम वेलकप में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1196/जी0-238/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी के ग्राम धरौली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

29 मार्च, 2023 ई0

सं0-1282/जी0-175/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील पयागपुर परगना बहराइच जनपद बहराइच के ग्राम नेजाभार में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1283/जी0-151/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना फतेहपुर जनपद बाराबंकी के ग्राम मोहम्मदपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1284/जी0-15/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मुसाफिरखाना परगना जगदीशपुर जनपद अमेठी के ग्राम इटरौर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1285/जी0-229/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना हसनपुर जनपद अमरोहा के ग्राम पांडली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1286/जी0-159/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद के ग्राम धतुर्रा मेघानगला ऐहतमाली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1287/जी0-230/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सिराथू परगना कड़ा जनपद कौशाम्बी के ग्राम बिछौरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1288/जी0-216-A/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना डिबाई जनपद बुलन्दशहर के ग्राम मौहम्मदपुर खर्द में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1289/जी0-171-A/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना महमूदाबाद जनपद सीतापुर के ग्राम अशरफपुर राजासाहब में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1290/जी0-361/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना हवेली, जनपद जौनपुर के ग्राम गोधना में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1291/जी0-361/2022-23/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958

तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना रारी, जनपद जौनपुर के ग्राम भिवरहां में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1292/जी0-164/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना चायल जनपद कौशाम्बी के ग्राम सिंहपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1293/जी0-164/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना चायल जनपद कौशाम्बी के ग्राम नसीरपुर ता0 इब्राहिमपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1294/जी0-152-A/2022-23/धारा 52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, प्रभु एन0 सिंह, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कादीपुर परगना अल्देमऊ जनपद सुलतानपुर के ग्राम खोजापुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

प्रभु एन0 सिंह,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां
कार्यालय, जिलाधिकारी, लखनऊ

13 अप्रैल, 2023 ई0

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

सं0 33/(भू0अ0)/न0म0पा0—प्रथम/लखनऊ—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से संचालित मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड की इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप के लिए जनपद लखनऊ, तहसील सरोजनी नगर, परगना लखनऊ, ग्राम संरसवा की 1.5040 की हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनाक 17 फरवरी, 2023 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार हैः—

The impact of the construction would be significant as those residential properties will be affected thus there should be facility to provide those people with on site house/ residential area to the extent of actual loss of area of the acquired house as per the Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

Also there is a family whose ancestral property is there and they also have shops on that property. There is a large chunk of property that is used by them for agricultural purposes. Thus the agency recommends that the person affected family should be allotted free of cost on site housing facility to the extent of actual cost of the land. Also the entire agricultural land that is being lost should be in the name of the khatedaar. If these points are ensured then the area is fit for acquisition. Also the families who are willing to take compensation instead of house should be provided with the same as per the UPTLARR 2015.

4–भूमि अर्जन के कारण एक परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना है। इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् हैः–

प्रस्तावित गाटा की भूमि, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड की इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप के अन्दर आती है, जिसको शामिल करने पर ही योजना का सुनियोजित विकास हो सकेगा। प्रस्तावित भूमि का कब्जा लेने से पूर्व राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ विस्थापित परिवार को दिया जायेगा।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	सरोजनी नगर	लखनऊ	सरसंवा	407	0.7680
				436	0.7360
				योग . .	**1.5040**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

सं0 37/(भू0अ0)/न0म0पा0–प्रथम/लखनऊ–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से संचालित मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड की इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप के लिए जनपद लखनऊ, तहसील सरोजनी नगर, परगना लखनऊ, ग्राम संरसवा की 3.070 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है, तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनाक 17 फरवरी, 2023 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण का सारांश इस प्रकार है–

The impact of the construction would be significant as those residential properties will be affected thus there should be facility to provide those people with on site house/ residential area to the extent of actual loss of area of the acquired house as per the Land Acquisition and Resettlement Act, 2013.

Also there is a family whose primary earning member is disabled. He is suffering from polio. He barely survives on his disability pension received from the government. Thus, special care should be taken of his property and he should also be provided land instead of compensation or should be provided an on-site residential facility for his family's secured future. If these points are ensured then the area is fit for acquisition. Also the families who are willing to take compensation instead of house should be provided with the same as per the UPTLARR 2015.

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। यद्यपि गाटा सं0 556 की भूमि प्लाटिंग करके विक्रीत की गई है। स्थल पर एक निर्माण विद्यमान है, सर्वे के समय निर्माण, आवासीय रूप में नहीं पाया गया। आवासीय निर्माण सिद्ध होने पर प्रस्तावित भूमि का कब्जा लेने से पूर्व राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ विस्थापित परिवार को दिया जायेगा।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	सरोजनी नगर	लखनऊ	सरसंवा	518	0.2660
				519	0.0280
				520	0.5080
				529P	1.5000
				544	0.0630
				546	0.2020
				556	0.5030
				योग . .	**3.0700**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

सन्दीप कुमार गुप्ता,
कलेक्टर, लखनऊ,
भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ।

पी0एस0यू0पी0–10 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 03 जून, 2023 ई० (ज्येष्ठ 13, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय नगर निगम, मेरठ

(आकाश चिह्न विज्ञापनों का विनियमन, नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली) उपविधि, 2022

प्रस्तावित–

1–संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959) की धारा 541 की उपधारा 48 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर निगम, मेरठ (आकाश चिह्न, विज्ञापनों का विनियमन, नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली) उपविधि 2022 का अधिष्ठापन निम्नवत करता है।

(1)–यह उपविधि मेरठ नगर निगम (आकाश चिह्न, विज्ञापनों का विनियमन, नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली) उपविधि, 2022 कही जाएगी।

(2)–इसका विस्तार नगर निगम मेरठ के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3)–यह सदन स्वीकृति की दिनांक से तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषायें–(1)–तब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में-

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।

(2) "विज्ञापनकर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति के स्थान पर उसका यथाविहित प्रक्रिया से प्राधिकृत अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक भी सम्मिलित है, और भूमि अथवा भवन (घरेलू अथवा वाणिज्यक अथवा दोनों) का स्वामी भी सम्मिलित है। ऐसा विज्ञापनकर्ता उक्त विज्ञापन से लाभदायी व्यक्ति भी हो सकता है।

(3) विज्ञापन प्रभारी का तात्पर्य नगर आयुक्त द्वारा विज्ञापन अनुभाग के अधीन संचालित समस्त संव्यवाहरों हेतु अधिकृत किये गये सक्षम अधिकारी से है।

(4) "पंजीकरण" का तात्पर्य इस उपनियम के अन्तर्गत विज्ञापन अनुभाग के तत्वाधान उपलब्ध, ऐसे व्यक्ति/फर्म/संस्था को नियमानुसार अधिकृत सूची में दर्ज करने की प्रक्रिया से है।

(5) 1–"विज्ञापन प्रतीक" का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्सम्बन्ध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति लोक निष्पादन वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या सरंचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुक्त हों और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो, से सम्प्रदर्शित हो, और उक्त सतह या सरंचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो।

2–**"आकाश चिह्न"** से तात्पर्य है कोई शब्द, वर्ण, नमूना चिह्नयुक्त या अन्य प्रतिरूप, जो विज्ञापन, घोषणा या निर्देश के रूप में हो और जो किसी भवन या ढांचे पर उसके पूर्णतः या अंशतः किसी खम्भे, बल्ली, ध्वजदंड चौखट या अन्य किसी अवलम्ब के सहारे रखा हुआ हो या उससे संलग्न हो और जो किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान के किसी भी स्थल से पूर्णतः या अंशतः आकाश पर दिखायी देता हो इसमें बैनर/गुब्बारा/पैराशूट या इसी प्रकार का अन्य कोई समरूप साधन सम्मिलित होगा।

(6) "विज्ञापन" का तात्पर्य चित्रात्मक, शब्दात्मक या अन्य किसी प्रकार के प्रतिकात्मक आदि माध्यम से जनसामान्य को संमसूचित करने, संदेश प्रसारित करने, राजी करने के उद्देश्य से इस उपनियम के अर्न्तगत उल्लिखित समस्त सम्भव माध्यमों से संदर्शित सूचना से है।

(7) "गुब्बारा" का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दू से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना आकाश में अवस्थित हो।

(8) "बैनर" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पट से है जो सड़क के दोनों ओर स्थित वृक्षों/टेलीफोन या विद्युत के खम्मों या किसी अन्य वस्तु अथवा स्तम्भ से रस्सी बॉधकर सड़क के बिल्कुल मध्य में लटकाया गया हो, जोकि जनसामान्य की सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतयाः प्रतिबन्धित है।

(9) "पताका विज्ञापन" का तात्पर्य किसी ऐसे प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी झण्डे/झण्डी का प्रयोग कर रहा है।

(10) "समिति" का तात्पर्य नियम-3 के अधीन गठित स्थल चयन समिति से है।

(11) "निगम" का तात्पर्य मेरठ नगर निगम से है।

(12) "विद्युतीय प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसके निर्माण, संचालन ओर प्रकाशित किये जाने में विद्युत का प्रयोग किया गया हो और एल0ईए0डी0 बल्बों, विद्युत झालरों, रोशनी आदि जैसे उद्दीपको आदि के माध्यम से संदेश विज्ञापित किये जाने से है।

(13) "गैन्ट्री विज्ञापन" का तात्पर्य सड़क के दोनों ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से है।

(14) "भू-विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भें, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्यवय हो।

(15) "प्रदीप्त प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो।

(16) "शामियाना विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे

अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया है।

(17) "प्रक्षेपित प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो।

(18) "मार्ग अधिकार" का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है।

(19) "निजी स्थान विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर निर्मित हों या रखा गया है जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है अथवा ऐसी भूमि पर स्थित है जिसका स्वामित्व निजी प्रकृति का है।

(20) "अनुसूची" का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है।

(21) "बस सायबानों (शेल्टरों) पर विज्ञापन" का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टागें गये, अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से है।

(22) "पुष्प पात्र (फ्लावर पॉट) स्टैण्ड विज्ञापन" का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात् फ्लावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट्ट लगाये जाने से है।

(23) "जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर/पास अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से है।

(24) "ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आइलैण्ड पर विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आइलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए।

(25) "प्रतीक संरचना" का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो, जो नगर आयुक्त इस कार्य हेतु नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत आकार व माप के अनुरूप हो।

(26) "अनुज्ञा शुल्क" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 452 के अधीन वसूलनीय एवं आरोपणीय विज्ञापन शुल्क से है।

(27) "अल्प अवधि विज्ञापन" का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वांछित किसी विज्ञापन प्रतीक, झण्डा या वस्त्र, कैनवास, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढ़ांचा से या उसके बिना किसी हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है।

ऐसे विज्ञापन हेतु न्यूनतम अवधि तीन माह होगी। अल्प अवधि के सभी अनुज्ञेय सामान्य विज्ञापन हेतु निर्धारित दरों से डेढ़ गुणा अधिक दर पर देय होगी।

(28) "ट्री गार्ड विज्ञापन" का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अंतिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात् ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है।

(29)–"बरांडा प्रतीक" का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये विज्ञापन से है।

(30) अप्रत्याशित रूप से गठित वीभत्स प्राकृतिक आपदा या वैश्विक महामारी की स्थिति में नगर आयुक्त उक्त स्थिति के भविष्य में युक्ति-युक्त अवधि से भी अधिक सीमा के बने रहने के दृष्टिगत विवेकानुसार विज्ञापन शुल्क/समन शुल्क में यथोचित छूट प्रदान करने के सक्षम प्राधिकारी होगें। उक्त सम्पूर्ण अवधि में लिये जाने वाला शुल्क विज्ञापन शुल्क तथा आलोच्य अवधि की समानुपातिक होगी।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में पारिभाषित शब्दों। और पदों। के वही अर्थ होगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है।

3–स्थल चयन के समिति का गठन-

(1)–नगर आयुक्त अथवा अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता मे विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए उचित और उपयुक्त सार्वजनिक स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए मेरठ नगर निगम में एक समिति का गठन किया जायेगा।

समिति में निम्नलिखित होंगे-

(एक) नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त – (अध्यक्ष)

(दो) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी – सदस्य

(तीन) प्रभारी विज्ञापन, नगर निगम, मेरठ। – सदस्य/सचिव

(चार) नगर आयुक्त द्वारा नामित कोई अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता की श्रेणी से निम्न न हो – सदस्य

(पॉच) चयन समिति इस उपविधि के लागू होने के 15 दिन के अन्दर विज्ञापन/प्रचार लगाने हेतु स्थान निर्धारित करेगी।

(छह) चयन समिति प्रत्येक दो वर्ष में जिन स्थानों पर विज्ञापन/प्रचार लगायें जायेगे उन स्थानों में संशोधन, यदि आवश्यक हो तो कर सकेगी। नए विज्ञापन योग्य स्थल चयन समिति के अनुशंसा पर वर्ष में कभी भी चयनित, चिह्नित व सम्मिलित किये जा सकेगे।

(सात) यदि एक स्थान के लिये एक से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त होते है तो समिति उस स्थान की प्रीमियम की नीलामी जिस रीति से समिति की अनुशंसा पर नगर आयुक्त उचित समझें की जा सकेगी।

(आठ) समिति द्वारा परिलक्षित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेगें।

4–प्रतिषेध-

(1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी, सेतु या उससे संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, या नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन न प्रदर्शित, सम्प्रदर्शित, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने देगा, यदि ऐसा किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्यव्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो। सभी विज्ञापन पट यूनिपोल के रूप में केवल एकलपोल पर ही स्थापित किये जा सकेगें। ऐसे विज्ञापन पट जो 02 लोहें के गार्डर, 02 बॉस अथवा 02 बल्लियां गाड़कर स्थापित कर लिया गया हो, स्वतः ही अनाधिकृत विज्ञापन पटों की श्रेणी से आच्छादित माना जायेगा। भले ही उसका शुल्क निगम कोष में जमा करा दिया गया हों।

(4) कोई विज्ञापन पट्ट राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट्ट के इस उपनियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(6) बैनर, वाल पेन्टिंग पोस्टर के माध्यम से (किसी भी रीति से) विज्ञापन करना पूर्णतयः प्रतिबन्धित है।

(7) नगर निगम सीमा क्षेत्र में विभिन्न राजनैतिक दलों/धार्मिक संगठनों के द्वारा किसी भी प्रकार से विज्ञापन/प्रचार /बधाई सन्देश आदि प्रदर्शित किये जाने के पूर्व (चुनाव/निर्वाचन की अवधि को छोड़कर) नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। सभी विज्ञापन पट केवल एकल पोल पर ही लगाये जा सकेगें।

(8) जाति, प्रजाति, वर्ण, रंग, पंत, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग आदि के आधार पर उपहासात्मक/निन्दात्मक विज्ञापन सामग्री पूर्णतया प्रतिबन्धित होगी।

(9) भारत के संविधान, संवैधानिक संस्थाओं, विधि द्वारा स्थापित नियमों/कानूनों आदि के विपरीत विज्ञापन सामग्री पूर्णतया प्रतिबन्धित होगी।

(10) राष्ट्रीय प्रतिकों, राष्ट्रीय चिह्नों, जननायकों, आदि के प्रति उपहासात्मक/निन्दात्मक किसी भी रूप में विज्ञापन सामग्री का प्रदर्शन किया जाना प्रतिबन्धित होगा।

(11) महिलाओं के सम्बन्ध में उपहासात्मक/निन्दात्मक विज्ञापन सामग्री तथा किसी भी प्रकार से अशलील के रूप में सामान्य प्रज्ञा से चिन्हित हो सकने वाली सामग्री प्रतिबन्धित होगी।

(12) जनसामान्य को अपराध, हिंसा, आत्महत्या, घृणा, दंगा, आंतक, असामाजिक व्यवहार, असंसदीय भाषा, को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने वाली विज्ञापन सामग्री पूर्णतया प्रतिबन्धित होगी।

(13) साम्प्रदायिक, सामाजिक सद्भाव को खठित करने वाली विज्ञापन सामग्री पूर्णतया प्रतिबन्धित होगी।

(14) ऐसी कोई भी विज्ञापन की सामग्री अपने किसी भी स्वरूप में पूर्णयता निषिद्ध एवं खठित होगी, जोकि कि निम्नवत् अधिनियम के सुसंगत कतिपय प्रावधानों के विपरीत हो।

1–सम्प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निकरण) अधिनियम-1950

2–औषधि एवं प्रसाधन सामाग्री अधिनियम-1940

3–पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम-1955

4–खाद्य अप मिश्रण निकरण अधिनियम-1954

5–कॉपी राईट अधिनियम-1957

6–सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003

7–स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम-1986

8–उपभोकता संरक्षण अधिनियम-1986

9–व्यापार चिह्न अधिनियम-1999

विशेष नोट–ऐसा उल्लघंन पाये जाने पर प्रदर्शनकर्ता/अधिष्ठाता/छपाईकर्ता को उत्तरदायी माना जायेगा।

5–श्रेणी का वर्गीकरण-

(1) प्रवर श्रेणी-बेगमपुल चौराहा से काली नदी तक, बच्चा पार्क, ईव्ज चौराहा, तेजगढ़ी चौराहा, हापुड अडडा चौराहा, मेरठ कॉलिज स्थित कमिश्नरी चौराहा, बागपत चौराहा, रेलवे रोड चौराहा, घंटाघर चौराहा, आयुक्त आवास चौराहा, जागरण चौराहा, जेल चुंगी चौराहा, मैट्रो प्लॉजा चौराहा, (चौराहे से 100 फिट की परिधि में)।

(2) श्रेणी-ए प्रवर श्रेणी से अलग का क्षेत्र एल0 ब्लॉक चौराहा, बेगमब्रिज चौराहे से बच्चा पार्क चौराहे तक, बच्चा पार्क चौराहे से हापुड अडडा व हापुड अडडा से तेजगढी चौराहे होते हुए काली नदी के पुल तक, मेरठ कॉलिज चौराहे से बच्चा पार्क चौराहा होते हुए घंटाघर तक, तेजगढ़ी से एल0 ब्लॉक चुंगी तक।

(3) श्रेणी-बी-दिल्ली रूडकी हाईवे की साइडों में लगे निगम सीमा के अन्तर्गत सभी विज्ञापन, परतापुर से ट्रान्सपोर्टनगर तक (दिल्ली रोड) तेजगढी से जेल चुंगी तक, पी0एल0 शर्मा रोड, रूडकी रोड पी0ए0सी0 से मोदीपुरम

के पुल तक, ईव्ज चौराहे से आयुक्त आवास चौराहे तक व आयुक्त आवास चौराहे से मवाना रोड नगर निगम सीमा तक।

(4) श्रेणी-सी-इस श्रेणी में सरधना रोड नगर निगम सीमा तक, बागपत रोड, रोहटा रोड, रेलवे रोड चौराहे से माधवपुरम तक, गोल मार्किट, साकेत, नेहरू रोड, जवाहर क्वार्टर, सेन्ट्रल मार्किट स्थान सम्मिलित है।

(5) श्रेणी-डी-इस श्रेणी में वह सभी स्थान सम्मिलित है जो उपर्युक्त प्रवर 'ए', 'बी' व 'सी'-श्रेणी में सम्मिलित नहीं है।

(6) चयन समिति को चिन्हित विज्ञापन स्थलों की श्रेणियों में यथावश्यकता परिवर्तन करने का अधिकार होगा कि वह प्रत्येक दो वर्ष में जिस वर्ष दरों में बढोत्तरी होगी, इस उपनियम में वर्णित श्रेणी के वर्गीकरण में संशोधन, यदि आवश्यक हो तो करेंगी ।

(7) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जायेगा, जिससे 5000.00 रु0 भुगतान करके नगर निगम कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है, तथापि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(8) उपर्युक्त वर्णित स्थानों के अतिरिक्त यदि कोई स्थान ऐसा जिसका उल्लेख इस उपनियम में होने से या तो रह गया हो या उस स्थान की उत्पत्ति इस उपनियम के अधिष्ठापन के उपरान्त हुई हों, में स्थापित विज्ञापन पटों पर देय शुल्क की गणना उस स्थान से निकटतम उच्चतम श्रेणी वाले स्थान की दरों के आधार पर की जायेगी।

6—पंजीकरण-

किसी भी विज्ञापन की अनुमति/ठेका/निर्माण, संचालन और हस्ताक्षरण (बी0ओएटी0) सार्वजनिक में निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) पद्धति पर कार्य करने के लिए सम्बन्धित संस्था को नगर निगम में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए नियम व शर्ते निम्न है-

(1) प्रवर श्रेणी-इस श्रेणी में पंजीकरण हेतु आवेदक (व्यक्ति/फर्म/संस्था आदि) को अंकन 25.00 लाख रूपये पंजीकरण शुल्क विज्ञापन शुल्क के रूप में जमा करना होगा जो उसके द्वारा श्रेणी 'ए' श्रेणी 'बी' श्रेणी 'सी' के अन्तर्गत आने वो स्थानों के लिए उसमें दर्शायी गयी दरों पर विज्ञापन पट लगाने की बाबत विज्ञापन शुल्क के रूप में समायोजन के योग्य होगा। यदि इस श्रेणी पंजीकरण व्यक्ति या फर्म या संस्था अंकन 25.00 लाख रूपये से अधिक के विज्ञापन शुल्क की अनुमति लेते है तो अलग से अग्रिम देय होगा। इसके अतिरिक्त धरोहर राशि के रूप में अंकन 30 लाख रूपये की राष्ट्रीयकृत बैंक गारण्टी नगर निगम, कि. मेरठ के पक्ष में देना अनिवार्य होगा।

(2) श्रेणी 'ए'-इस श्रेणी में पंजीकरण हेतु आवेदक (व्यक्ति/फर्म/संस्था आदि) को अंकन 20.00 लाख रूपये से पंजीकरण शुल्क विज्ञापन शुल्क के रूप में जमा करना होगा जो उसके द्वारा श्रेणी 'ए' श्रेणी 'बी' श्रेणी 'सी' के अन्तर्गत आने वाले स्थानों के लिए उसमें दर्शायी गयी दरों पर विज्ञापन पट लगाने की बाबत विज्ञापन शुल्क के रूप में समायोजन के योग्य होगा। यदि इस श्रेणी पंजीकरण व्यक्ति या फर्म या संस्था अंकन 20.00 लाख रूपये से अधिक के विज्ञापन शुल्क की अनुमति लेते है तो अलग से अग्रिम देय होगा। इसके अतिरिक्त धरोहर राशि के रूप में अंकन 25 लाख रूपये की राष्ट्रीयकृत बैंक गारण्टी नगर निगम, मेरठ के पक्ष में देना अनिवार्य होगा।

(3) श्रेणी 'बी'-इस श्रेणी में पंजीकरण हेतु आवेदक (व्यक्ति/फर्म/संस्था आदि) को अंकन 15.00 लाख रूपये विज्ञापन शुल्क के रूप में अग्रिम जमा कराना होगा जो उसके द्वारा श्रेणी 'बी' श्रेणी 'सी' के अन्तर्गत आने वाले स्थानों के लिए उसमें दर्शायी गई दरों पर विज्ञापन पट लगाने की अनुमति के बाबत विज्ञापन शुल्क के रूप में समायोजन के योग्य होगा। यदि अंकन 15.00 लाख रूपये से अधिक के विज्ञापन शुल्क की अनुमति लेते है तो वह अलग से अग्रिम देय होगा। इसके अतिरिक्त धरोहर राशि के रूप में अंकन 20.00 लाख रूपये की राष्ट्रीयकृत बैंक गारण्टी नगर निगम, मेरठ के पक्ष में देना अनिवार्य होगा।

(4) श्रेणी 'सी'-इस श्रेणी में पंजीकरण हेतु आवेदक (व्यक्ति/फर्म/संस्था आदि) को अंकन 10.00 लाख रूपये विज्ञापन शुल्क के रूप में अग्रिम जमा कराना होगा जो उसके द्वारा श्रेणी 'सी' अन्तर्गत आने वाले स्थानों के लिए

उसमें दर्शायी गई दरों पर विज्ञापन पट लगाने की अनुमति के बाबत विज्ञापन शुल्क के रूप में समायोजन के योग्य होगा। यदि अंकन 10.00 लाख रूपये से अधिक के विज्ञापन शुल्क की अनुमति लेते है तो वह अलग से अग्रिम देय होगा। इसके अतिरिक्त धरोहर राशि के रूप में अंकन 15.00 लाख रूपये की राष्ट्रीयकृत बैंक गारण्टी नगर निगग, मेरठ के पक्ष में देना अनिवार्य होगा।

(5) श्रेणी 'डी'-इस श्रेणी में पंजीकरण हेतु आवेदक (व्यक्ति/फर्म/संस्था आदि) को अंकन 5.00 लाख रूपये विज्ञापन शुल्क के रूप में अग्रिम जमा कराना होगा जो उसके द्वारा श्रेणी 'डी' के अन्तर्गत आने वाले स्थानों के लिए उसमें दर्शायी गई दरों पर विज्ञापन पट लगाने की अनुमति के बाबत विज्ञापन शुल्क के रूप में समायोजन के योग्य होगा। यदि अंकन 5.00 लाख रूपये से अधिक के विज्ञापन शुल्क की अनुमति लेते है तो वह अलग से अग्रिम देय होगा। इसके अतिरिक्त घरोहर राशि के रूप में अंकन 10.00 लाख रूपयें की राष्ट्रीयकृत बैंक गारण्टी नगर निगम, मेरठ के पक्ष में देना अनिवार्य होगा।

(6) पंजीकरण हेतु जमा कराया गया विज्ञापन शुल्क किसी भी दशा में आवेदक को न तो वापस किया जायेगा और न ही उसका आगामी वर्षों में समायोजन किया जायेगा। पंजीकरण प्रति वर्ष आगामी वर्ष के लिए फरवरी माह में किये जायेंगे।

(7) पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।

(8) आवेदनकर्ता को पिछले तीन वर्ष की आयकर रिटर्न एवं 2 साल की सेवा एवं वस्तुकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति जमा करना अनिवार्य होगा तथा नवीन पंजीकरण हेतु सेवा कर में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र देना होगा।

(9) किसी ऐसे व्यक्ति या फर्म या संस्था का पंजीकरण नहीं किया जायेगा जिस पर नगर निगम की कोई बकाया धनराशि देय हो इसके लिए आवेदक को नगर निगम, मेरठ के समक्ष प्राधिकारी से अदेय प्रमाण-पत्र लेकर पंजीकरण हेतु देय होगा। जिस व्यक्ति या फर्म या संस्था पर पंजीकरण के उपरान्त भी बकाया रह जाता है तो उसका अगले वर्ष हेतु पंजीकरण नहीं होगा और यदि नगर आयुक्त चाहें तो ऐसे व्यक्ति या फर्म या संस्था को काली सूची में डाल सकेंगे।

(10) किसी साझेदारी फर्म संस्था की स्थिति में उसके पार्टनरशिप डीड/उपविधि/पंजीकरण का प्रमाण-पत्र पंजीकरण हेतु देना होगा।

(11) अल्पकालिक विज्ञापनों हेतु पंजीकरण की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होगी। नगर आयुक्त अथवा इस कार्य हेतु प्राधिकृत प्रभारी विज्ञापन यदि उचित समझते है तो वह अल्पकालिक स्वीकृति दे सकते है अथवा ऐसे निजी विज्ञापनों जिन्हें उक्त अधिकारी उचित समझें स्वीकृति दे सकेंगे। अल्पकालिन स्वीकृति की अवधि कि न्यूनतम 3 माह की होगी। जबकि ऐसी अनुमति हेतु देय विज्ञापन शुल्क की दर सामान्य विज्ञापन पटों दरों की डेढ़ गुणा होगी ।

(12) पंजीकरण का नवीनीकरण हेतु वार्षिक सार्वजनिक सूचना की अवधि में अथवा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से सात दिन के अन्दर आवेदन कराना अनिवार्य होगा। "ए" श्रेणी में पंजीकृत विज्ञापनकर्ता/एजेन्सी ही नीलामी/निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होगी।

(13) यदि नगर आयुक्त उचित समझे तो वह विज्ञापन पटों की स्थापन पर देय अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली ठेके के माध्यम से ही कराये जाने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगें। यह ठेका ऐसे सभी स्थानों पर विज्ञापन पटों की स्थापना हेतु दिया जा सकेगा, जिनका चिहनीकरण इस नियमावली की धारा-3 के अन्तर्गत गठित की गयी समिति द्वारा किया गया हो। सामान्यतः ठेके की अवधि एक वित्तीय वर्ष होगी। परन्तु ठेकेदार की कार्य प्रणाली की गुणवत्ता संतोषजनक होने एवं अन्य विशेष परिस्थतियों में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह उक्त ठेके की अवधि से ठेका आवंटन के वर्ष से एक बार में 06 माह तथा आगामी अधिकतम 02 वर्षो तक बढ़ा सकता है। .

7– अनुज्ञा की अवधि

(1) अनुज्ञा, की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट होगी, सामान्यतः अनुज्ञा एक वित्तीय वर्ष के लिए दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में चयन समिति की अनुशंसा एवं नगर आयुक्त की स्वीकृति के आधार पर अनुज्ञा दो

वर्ष के लिए दी जा सकती है। अनुज्ञा निगम द्वारा निर्धारित दरों पर अथवा नीलामी द्वारा अथवा कि निविदा द्वारा जैसा नगर आयुक्त उचित समझें उसी माध्यम से दी जा सकेगी। नीलामी अथवा निविदा की स्थिति में नगर निगम में पंजीकरण निलामी अथवा निविदा प्राप्ति के पश्चात् कराना होगा।

(2) निर्माण, संचालन और हस्तान्तरण (बी0ओएटी)/सार्वजनिक में निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) के अन्तर्गत ऐसी अनुज्ञा दी जा सकेगी, जिनका व्ययानुमान एक करोड रूपये से अधिक हो और ऐसी अनुज्ञा देने के दो दिन के अन्दर नगर आयुक्त द्वारा कार्यकारिणी समिति को सूचित करना होगा। ऐसी अनुज्ञा की अवधि 03 वर्ष होगी, 03 वर्ष पर कार्य संतोषजनक होने पर नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह आगामी 02 वर्षो के लिये विज्ञापन कर में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ नवीनीकरण कर सकेंगे। इस प्रकार की अनुज्ञा हेतु विज्ञापन कर की दर सामान्य विज्ञापन कर की दर का 25 प्रतिशत होगा। इस उपनियम में आवेदन केवल श्रेणी-ए में पंजीकृत्त व्यक्ति या फर्म या संस्था ही कर सकेगी।

8–अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया-

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन अनुसूची-एक में विनिर्दिश्ट विहित प्रपत्र में किया जायेगा, जिसे रू0 5000.00 रु0 का भुगतान करके नगर निगम कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ से आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना, ऐसी भूमि के स्थलीय मानचित्र सहित निहित होगी, जहाँ भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना या लटकाया जाना वांछित हो इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी-

(क) कोई अन्य विशिष्टियाँ, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो।

(ख) गुब्बारा विज्ञापन के मामले में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना विज्ञापनकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किये जायेंगें-

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण।

(ख) भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुबन्ध-पत्र।

(4) निजी भूमि या भवन पर लगे विज्ञापन पटों की स्थित में निर्धारित समयावधि में भुगतान न देने की स्थिति में विज्ञापन एजेन्सी द्वारा पंजीकरण के समय दी गयी बैंक गारन्टी से समायोजित कर लिया जायेगा एवं जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्ट से फ्लैक्स हटाने अथवा विज्ञापन पटों की माप अथवा आवेदन के साथ प्रस्तुत सूचनाओं/विवरण के भौतिक सत्यापन करने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

(5) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि/भवन पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहे तो उसे आवेदन-पत्र के साथ सूचना प्रस्तुत करनी होगी और उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(6) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड/फ्लावर पॉट/आईए0एच0पी0 को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीगार्डों/फ्लावर पॉट/आईए0एच0पी0 पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा शुल्क भुगतान करने का दायी होगा। नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे विज्ञापन पर देय शुल्क की वसूली हेतु जोनवार ठेके छोड़ सकें।

(7) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जाएगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जाये।

(8) प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त की धनराशि संलग्न करनी होगी, परन्तु यह कि प्रीमियम की अवशेष धनराशि नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा की स्थिति में यदि आवेदनकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वैध/मान्य कारणों के साथ कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्रदत्त की गयी अनुमति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी तथा आवेदन पत्र के साथ जमा कराया गया अग्रिम शुल्क जब्त कर लिया जायेगा, जिसके उपरान्त पुनः आवेदन करने पर सम्पूर्ण प्रक्रिया नये सिरे से करनी होगी।

(9) अपूर्ण, बिना हस्ताक्षर अथवा अन्य कारणों से अयोग्य आवेदन पत्र को निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी में निहित होगा।

नोट–बैनर, वाल पेन्टिंग के माध्यम से (किसी भी रीति से) विज्ञापन करना पूर्णतयः प्रतिबन्धित है।

9–अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्ते-

(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखनें, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी, किन्तु बैनर, वाल पेन्टिंग, पोस्टर से प्रचार-प्रसार पूर्णतयः प्रतिबन्धित होगा, यह कि-

(क) विज्ञापन या विज्ञापन पट को समुचित दशा में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा।

(ख) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(ग) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन पट को स्वयं के व्यय पर हटा देगें या उसे मिटा देगें, अन्यथा की स्थिति में निगम द्वारा हटाये जाने अथवा मिटाये जाने की स्थिति में दण्डात्मक वसूली की जायेगी।

(घ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञाप्त स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या उसे परिनिर्मित किये जायेंगे, विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त अथवा प्रभारी विज्ञापन की अनुमति से उसी श्रेणी में स्थान परिवर्तन किया जा सकता है।

(ड़) मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों साइकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी।

(च) भवनों, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन किसी भी रूप में बांधित नहीं होंगे।

(छ) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए।

(ज) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़-पौधों में गाडा, बांधा नहीं जायेगा।

(झ) नगर निगम सीमा क्षेत्र में विभिन्न राजनैतिक दलों/संगठनों के द्वारा किसी भी प्रकार से विज्ञापन/प्रचार/बधाई सन्देश आदि प्रदर्शित किये जाने के पूर्व (चुनाव/निर्वाचन की अवधि को छोड़कर) नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2)–नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीनीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा-

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किसी अन्य कारण से गिर जाता है।

(ख) यदि कोई परिवर्द्वन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर नगर आयुक्त के निर्देश की अधीन किया जाता है।

(ग) यदि विज्ञापन पट या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है।

10–आवेदन पत्रों की अस्वीकृति के आधार–नियम 4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है, यह कि-

(क) आवेदन-पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस उपविधि के अनुरूप न हो।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स, या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने वाली प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यक से संप्रदर्शित हो,

जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना, हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) तम्बाकू से निर्मित पदार्थ सिगरेट इत्यादि के सेवन को प्रोत्साहित करने वाला हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति भंग होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरूद्ध हो।

(ड) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में शांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों से असंगत हों

(छ) अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त नगर निगम के हित व जनहित में उचित समझें।

11–विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट हटाने की शक्ति-

(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो समिति विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटवा सकती है और जमा प्रतिभूमि से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है-

(एक) इस प्रकार हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय और

(दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन मे परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रशित किया गया था, में किसी क्षतियां विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जाएगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग/सड़क/फुटपाथ/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए।

12–विज्ञापन पर निर्बन्धन-

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जाएगा, प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, संप्रदर्शित नही किया जाएगा, चिपकाया नहीं जाएगा, लिखा नही जाएगा, चित्रित नहीं किया जाएगा या लटकाया नहीं जाएगा, यदि,

(एक) इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो,

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुये मार्ग से नापे गये 10 मीटर के भीतर किसी स्थान पर अवस्थित हो।

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे पैदल चलने वाले यातायात में बाघा उत्पन्न होती हो।

(चार) जर्जर स्थिति में हो जिसके आँधी-पानी (बरसात) में गिरने की सम्भावना हो।

(2)–विज्ञापनों और विज्ञापनों पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी-

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे की यातायात के पहुँचने, या संविलीन होने, प्रतिच्छेदित होने की दृश्यव्यता में बाधा या व्यवधान होता हो।

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दायीं ओर के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के पड़ने वाले मोड़ के 10 मीटर के भीतर हो।

(तीन) ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिह्न, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वाचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो।

(चार) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पट्टों भित्ति पत्रकों, वस्त्र-झण्डियां या पत्रक पर जिनमें चालक का ध्यान विचलित होता हो और इसलिए परिसंकटमय हो।

(पाँच) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहों पर उनकी दृश्यव्यता बाधित हो।

(छह) जब इनसे स्थानीय सुविधायें प्रभावित हों।

(3) (एक)–निजी भवनों पर पोस्टर चिपकाने अथवा वॉल राइटिंग के पूर्व भवन स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। सार्वजनिक भवनों, दिशा-सूचकों और महत्वपूर्ण सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन-पटों पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा,

(दो) सड़क पर क्रास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

(तीन) गैन्ट्री प्रतीकों के लिए यह आवश्यक होगा कि गैन्ट्री के दोनों छोरों पर स्थान बोधक, दिशासूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाये जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जाएगी कि सामान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सके।

(चार) सड़क के किनारे अथवा डिवाइडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके है एवं बड़ें वृक्ष के नीचे ट्री-गार्ड/फ्लावर पॉट लगा कर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना निषिद्व होगा।

(पाँच) किसी भी पोल पर अधिकतम दो कियॉस्क जिनके पार्श्व भाग आपस में इस प्रकार सटे होंगे जिसमें एक दिशा से एक ही कियॉस्क दृश्यव्य होगा, अनुमन्य होगें।

(4)–निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नही होगी-

(एक) ऐसी सधनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध/चमक उत्पन्न होने के कारण चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होने की सम्भावना हो या जिससे सामान्य परिवाहन/चालन बाधित हो की किसी क्रिया में विघ्न पड़ता हों।

(दो) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

13–छत के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में निर्बन्धन-

(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक ही अनुमन्य है।

14–दुकानों पर विज्ञापन–किसी दुकान पर दुकान के भीतर शोकेस आदि को छोड़कर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और अनुज्ञा शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेन्टिंग लेखन द्वारा, प्रकाश युक्त या अप्रकाश युक्त सइनेस बोर्ड या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-

(एक) यदि सामग्री बेचने वाली दुकान का नाम, वस्तुओं या सामानों के नाम के साथ अथवा उसके बिना भी, फलक लटकाकर, पेन्टिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाये तो प्रत्येक दुकान के लिए

केवल एक ऐसे विज्ञापन पट्ट को विज्ञापन नहीं माना जायेगा और वह इस उपविधि के अधीन कि. विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय नहीं होगा।

15–मार्गाधिकार (राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन-सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौदर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए कि. निम्नलिखित विज्ञापनों को मार्गाधिकार के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी-

(1)–मार्ग प्रकाश के खम्मों पर विज्ञापन-

(एक) अभिकल्प–विज्ञापन फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटर X 1.2 मीटर से अधिक नहीं रखी जायेगी और विज्ञापन के निचलें तल की भूतल से ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।

(2)–बस सायबानों पर विज्ञापन-

अभिकल्पः बस सायबनों (बस शेल्टर) के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। बस सायबान पर विज्ञापनपट की लम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 2 मीटर पर रखी जायेगी। प्रत्येक सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाईन के अनुसार ही निर्मित कराया जायेगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रूट नम्बर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता, जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर समय-समय पर कराना अनिवार्य होगा। न्यूनतम शुल्क 18 मीटर आकार को आधार मानकर परियोजित किया जायेगा।

(3) स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन-नियम-13 में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुँचाने को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर X 0.35 मीटर की आकार पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते है। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पटिटियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेन्ट करने की अनुज्ञा होगी। (सनपैक आदि के लिये मान्य न्यूनतम आकार 1 मीटर होगा)

(4) यातायात रोटरी/सड़क–नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से आवंटन समिति की संस्तुति पर यातायात रोटरी/सड़क/यातायात बूथ के विकास रख-रखाव की अनुज्ञा दे सकते है। यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात/पुलिस बूथ पर उसकी कुल चौड़ाई तथा विज्ञापन की ऊँचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जायेगा तथा विज्ञापन की उँचाई अधिकतम 1 मीटर रखी जायेगी। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को उपविधि में प्रवण श्रेणी हेतु दरों पर विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा। ऐसे विज्ञापन का न्यूनतम आकार 10 मीटर मान्य होगा।

(5) मैदानों, पगडंडियों के किनारे रक्षक पटिटयों–नगर आयुक्त अभिकरण को मैदानों, पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रख-रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित पटिटयों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकरण के लिए नगर आयुक्त को अनुमोदित प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय-समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख-रखाव करने और मुख्यतः पेन्ट करने के लिए आबद्धकर होगा। इस पर लगने वाले विज्ञापन पट का अधिकतम आकार 0.45 मी0 X 0.75 मी0 होगा तथा सड़क के न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मी0 होगी।

(6) वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड)–नगर आयुक्त अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकते है परन्तु 0.90 मीटर से कम चौड़े डिवाईडरों पर ट्री-गार्ड लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी।

(7) पुष्प पात्र स्टैण्ड (फ्लावर पॉट रटैण्ड)–नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते है। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 X 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्ट अपने दोनों ओर संप्रदर्शित किये जा सकते है, परन्तु सड़क सतह से ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नही होना चाहिए। परन्त यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प मात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जायेगा।

नोट–नगर आयुक्त को सभी प्रकार के विज्ञापनों का आकार/संरचना के पुर्ननिर्धारण का अधिकार प्राप्त होगा।

16–छूट-

(1) इस उपविधि की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी-

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया है।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट संकेतक, यातायात चेतावनी और संदेश किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता, को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट परन्तु उनकी माप 0.6 मी0 X 0.6 मी0 से अधिक न हो।

(पाँच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाये किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हों।

(छः). यदि यह ऐसी भूमि या भवन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैठक या अक्षराकन या न उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबंधित हो, परन्तु यह 2.5 वर्गमीटर से अधिक न हों।

(सात)–इसके अतिरिक्त नियम 19 के उपनियम (2) से (5) के अधीन आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नही है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस उपविधि के अनुपालन में परिनिर्माण या रख-रखाव के उत्तरदायित्व से निर्मुक्त है।

(2)–दीवार विज्ञापन पटट्–नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(एक)–**भण्डारण विज्ञापन पट्ट**–किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारबार की प्रकृति को घोषित करते हो, विज्ञापन पट्ट 1 मीटर से उँचें और कारबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होने चाहिए।

(दो)–**सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट**–किसी नगरपालिका राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर से परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम प्रकृति या सूचना को घोषित करते हो।

(तीन)–**नाम पट्ट**–किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट जो भवन के अध्याक्षी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 मीटर से अधिक न हों।

(चार)–ऐसे विज्ञापन पट्ट जो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर इंगित करतें हो।

अस्थायी विज्ञापन पट्ट-

(एक) **निर्माण स्थल संकेत**-निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के सकेत और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत्त किये जायें।

(दो) **विशेष संप्रदर्शन संकेत**–अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धमार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन जिस पर कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं है। (नियम-15झ (2) अस्थायी विज्ञापन पट्ट के लिए आवश्यकता देखिए)

17–झण्डियों पर रोक-

(1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के विना किसी झण्डी का प्रदर्शन, संप्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) इस उपविधि का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाये और वह प्रति झण्डी दो सौ रूपये से कम नही होगी।

(4) नगर आयुक्त द्वारा नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समपह या विनष्ट कर सकता है।

18–अनुरक्षण और निरीक्षण-

(1) अनुरक्षण सभी विज्ञापन जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है उन्हें अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेगें जोकि ढ़ांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी, और जब चमकीले ओर अनुमोदित अज्वैलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होगे तो उन पर मोर्चा लगने के लिए रंग रोगन समय-समय पर किया जायेगा।

(2) **निरीक्षण**–प्रत्येक विज्ञापन जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिए कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचाग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

19–**प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति**–नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवा कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जॉच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि द्वारा तदधीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु-

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय, अन्य किसी समय, अध्यासी को नोटिस दिये बिना अथवा भूमि या भवन के स्वामी/अध्यासी के न होने पर भूमि/भवन में प्रवेश नहीं किया जायेगा।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो तो, हट सकने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(तीन) जहाँ तक ऐसे प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिए प्रवेश किया है। प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की ओर सम्यक् ध्यान दिया जायेगा।

20–भुगतान की रीति-

(1) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क एकल किस्त में अथवा दो समान किस्तों में संदेय होगा। बिना देय धनराशि जमा किये एवं बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित/संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा। प्रथम किस्त आवेदन पत्र के साथ अथवा स्वीकृति के समय जो पूर्वत्तर हो, तथा दूसरी किस्त 30 दिन के पूर्व देय होगी। निर्धारित अवधि में देय धनराशि जमा न करने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र खारिज करते हुये आवेदन पत्र में उल्लेखित स्थान अन्य विज्ञापन कर्ता को आवंटित किये जा सकेगें। तथा धनराशि जमा कराने में असमर्थ रहें विज्ञापनकर्ता को डिफाल्टर/काली सूचीबद्ध घोषित किया जा सकेगा।

21–क्षेत्रों का वर्गीकरण–विज्ञापनों पर अनुज्ञा शुल्क के प्रयोजनार्थ क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जायेगा-

(एक) प्रवर श्रेणी क्षेत्र

(दो) "अ" श्रेणी क्षेत्र

(तीन) "ब" श्रेणी क्षेत्र

(चार) "स" श्रेणी क्षेत्र

(पांच) "ड" श्रेणी क्षेत्र

22–श्रेणी का वर्गीकरण-

(1) प्रवर श्रेणी-बेगमपुल चौराहा से काली नदी तक, बच्चा पार्क, ईव्ज चौराहा, तेजगढ़ी चौराहा, हापुड अडडा चौराहा, मेरठ कॉलिज स्थित कमिश्नरी चौराहा, बागपत चौराहा, रेलवे रोड चौराहा, घंटाघर चौराहा, आयुक्त आवास चौराहा, जागरण चौराहा, जेल चुंगी चौराहा, मैट्रो प्लॉजा चौराहा, (चौराहे से 100 फिट की परिधि में),

(2) श्रेणी-ए प्रवर श्रेणी से अलग का क्षेत्र एल0 ब्लॉक चौराहा, बेगमब्रिज चौराहे से बच्चा पार्क चौराहे तक, बच्चा पार्क चौराहे से हापुड अडडा व हापुड अडडा से तेजगढी चौराहे होते हुए काली नदी के पुल तक, मेरठ कॉलिज चौराहे से बच्चा पार्क चौराहा होते हुए घंटाघर तक, तेजगढ़ी से एल0 ब्लॉक चुंगी तक।

(3) श्रेणी-बी-दिल्ली रूडकी हाईवे की साइडों में लगे निगम सीमा के अन्तर्गत सभी विज्ञापन, परतापुर से ट्रान्सपोर्टनगर तक (दिल्ली रोड) तेजगढी से जेल चुंगी तक, पी0एल0 शर्मा रोड, रूडकी रोड पी0ए0सी0 से मोदीपुरम के पुल तक, ईव्ज चौराहे से आयुक्त आवास चौराहे तक व आयुक्त आवास चौराहे से मवाना रोड नगर निगम सीमा तक।

(4) श्रेणी-सी-इस श्रेणी में सरधना रोड नगर निगम सीमा तक, बागपत रोड, रोहटा रोड, रेलवे रोड चौराहे से माधवपुरम तक, गोल मार्किट, साकेत, नेहरू रोड, जवाहर क्वार्टर, सेन्ट्रल मार्किट स्थान सम्मिलित है।

(5) श्रेणी-डी-इस श्रेणी में वह सभी स्थान सम्मिलित है जो उपर्युक्त प्रवर 'ए', 'बी' व 'सी'-श्रेणी में सम्मिलित नहीं है।

(6) **विशेष नोट**–यदि कोई विज्ञापन पट्ट दो श्रेणियों या अधिक श्रेणियों की सड़कों के मध्य प्रदर्शित किया जाता है तो उनकी विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की दरों उच्च श्रेणी की सड़कों के अनुरूप होगी किसी भी क्षेत्र का वर्गीकरण की विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं सर्वेमान्य होगा।

23–हटाये जाने की लागत-नियम 12 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत् होगी-

(क) 6.1 X 3.05 मीटर या उससे कम के विज्ञापन को विलोपन करने की वास्तविक लागत रु0 5,000.00

(ख) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट को विलोपन की लागत रु0 8,000.00

(ग) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को साफ करने की लागत रु0 2,000.00

(घ) निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को विलोपन की लागत रु0 10,000.00

24–अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रशमन-

(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रु0 10,000/– (दस हजार रूपये) तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन की दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से जो रु0 1000.00 (एक हजार रूपये) प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उननियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

आवश्यकता पड़ने पर उपविधि में संशोधन–उपविधि में अन्य बातों के होते हुए भी यदि भविष्य में किसी नियम अथवा उसके किसी अंश में अथवा विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की दरों में संशीधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो कार्यकारिणी समिति/नगर निगम सदन उक्त उपविधि में संशोधन करने के लिए अधिकृत होगी/होगा।

प्रपत्र सं0..... मूल्य रु0 5000.00

अनुसूची-1

(नियम 6(1) देखें)

विज्ञापन चिह्न स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

1–आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम.....

2–अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम.....

3–पता (साक्ष्य संलग्न किया जाये).....

.....

विज्ञापनकर्ता का पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र

4–आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का प्रकार.....

5–विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का आकार (लम्बाई चौड़ाई मीटर में).....

6–स्थल, नक्शा सहित स्थल की अवस्थिति.....

7–भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या आध्यासी का नाम .....

.....

8–क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है?.....

9– (एक) यदि निजी स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ भू/भवन की लिखित अनुमति, विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

(दो) भू-मवन स्वामी द्वारा इस आशय का वचन पत्र कि विज्ञापनकर्ता की चूक की दशा में वह देय विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।

(तीन) अनुमोदित/पंजीकृत संरचना अभियन्ता (Structure Engineer) द्वारा दिया गया भवन के भार वहन क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट।

10–(1) अनुसूची-2 के अनुसार वार्षिक अनुज्ञा शुल्क.....

(2) किस्त की धनराशि.....

11–देय प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क.....

12–कोई अन्य विवरण.....

.....

संलग्नक-

दिनांक-

आवेदक के हस्ताक्षर
दूरभाष नं0
मोबाइल नं0

अनुसूची-2

विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट पर अनुज्ञा शुल्क की दरें

1–निगम द्वारा स्वामित्वाधीन.....भूमि, दीवार और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट या आई0ए0एच0पी0 के निर्माण और प्रदर्शन के लिए अनुज्ञा शुल्क की दरें-

प्रवर श्रेणी-4000 रु0 प्रतिवर्ग मी0 प्रतिवर्ष

ए श्रेणी-2500 रु0 प्रतिवर्ग मी0 प्रतिवर्ष

बी श्रेणी-2000 रु0 प्रतिवर्ग मी0 प्रतिवर्ष

सी-श्रेणी-1500 रु0 प्रतिवर्ग मी0 प्रतिवर्ष

डी-श्रेणी-1000 रु0 प्रतिवर्ग मी0 प्रतिवर्ष

2–इलैक्ट्रानिक/एल0ई0डी0 अथवा अन्य डिजिटल माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन पट्टों हेतु (1) में निर्दिष्ट दरों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगी।

ट्यूबलाईट एल0ई0डी0 लाईट, सोडियम लाईट, बल्ब अन्य माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन पट्ट हेतु उपरोक्त क्रम सं0-1 से 4 तक निर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगी।

2(1)–निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित हेतु उपरोक्त (1) व (2) की 40 प्रतिशत धनराशि देय होगी।

2(2)–केन्द्र एवं राज्य सरकार के कार्यालय की भूमि/भवनों पर प्रदर्शित हेतु उपरोक्त (1) व (2) की 50 प्रतिशत धनराशि देय होगी।

3– (1)–शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

हल्का वाहन-रु0 7500.00 (सात हजार पाँच सौ रूपयें) प्रतिवर्ष प्रति वाहन।

भारी वाहन-रु0 15,000.00 (पन्द्रह हजार रूपये) प्रतिवर्ष प्रति वाहन।

(2)–सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर-

(एक)–तीन पहिया-रु0 100.00 (सौ) प्रतिदिन या रु0 6,000.00 प्रतिवर्ष।

(दो)–चार पहिया-रु0 500.00 (पांच सौ) प्रतिदिन या रु0 12,000.00 प्रतिवर्ष।

(तीन)–चार पहियो से अधिक पहिया-रु0 2,000.00 (दो हजार) प्रतिदिन या रु0 50.000.00 प्रतिवर्ष।

4–विद्युत तथा अन्य खम्मों/ट्री-गार्ड/फ्लॉवर पॉट/जनसुविधा पर विज्ञापन पट्ट लगाकर विज्ञापन हेतु अनुज्ञा शुल्क की दरें क्रमांक 1 पर उल्लेखित दरे ही लागू होगी।

5–पोस्टर-पूर्णयता प्रतिबन्धित

6–पर्चा (हैण्ड बिल)-रु0 1,000.00 (एक हजार) प्रति हजार

7–पताका (बैनर)-पूर्णतया प्रतिबन्धित।

6–गुब्बारा-रु0 1,000.00 (एक हजार) प्रतिदिनं

9–छतरी (कैनोपी)-रु0 500 (पांच सौ) प्रतिदिन (4 वर्ग मी0 या ऐसे प्रत्येक भाग के लिये)

10–दीवार लेखन-पूर्णतया प्रतिबन्धित।

नियम 15 (ड) के अनुसार एवं अनुज्ञा शुल्क की दरे मद सं0-1 के अनुसार।

11–उत्सव मेला, प्रदशर्नी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 3 माह का अनुज्ञा शुल्क क्रमांक (1) के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार लिया जायेगा

12–ध्वनि विस्तारण या यंत्र-रु0 200.00 प्रतिबॉक्स/स्पीकर प्रतिदिन।

13–उपरोक्त मदों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की मदों में देय विज्ञापन शुल्क क्रमांक (1) के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार देय होगा।

14–इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा शुल्क की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह उपविधि प्रवृत हुई हो, के दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 25 प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की कि वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक के पश्चात् प्रभावी होगी तथा इस वृद्धि को रोकने के लिए दो तिहायी बहुमत से माननीय सदन से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होगा।

15–अनुज्ञा शुल्क अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।

स्पष्टीकरण-

1–यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से कम अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त अथवा प्रभारी विज्ञापन निर्देश दे सकते है कि अनुज्ञा शुल्क मासिक आधार पर आंगणित होगा। सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करायी जाएगी।

2–निर्माण संचालन और हस्तान्तरण (बी0ओएटी0)/सार्वजनिक में निजी भागीदारी (पी0पी0पी0)/रेपिड रेल अथवा मेट्रो रेल के ऐसे ऊपरीगामी अथवा रेल पथ पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन के ठेके हेतु सम्बन्धित संस्था को नगर निगम में "अ" श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत आवश्यक होगा।

3–अनुज्ञा प्राप्त करने अथवा पंजीकरण कराने के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन-पत्र के साथ नगर निगम मेरठ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना न हो एवं अन्य सरकारी विभागों की अदेयता के सम्बन्ध में आवेदक का नोटेरी प्रमाणित शपथ पत्र आवश्यक होगा इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र/निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

4–अनुज्ञा शुल्क के सभी अवशेष नगर निगम अधिनियम 1959 के अध्याय (21) के अनुसार वसूली किये जायेगें तथा नगर आयुक्त की आज्ञा से उपरोक्त वसूली भू-राजस्व वसूली की भांति कराये जाने हेतु वसूली प्रमाण-पत्र भी जारी किये जा सकेगें।

5–उपनियमों में उल्लेखित प्राविधानों के आच्छिक अथवा पूर्णतया उल्लंघन करने तथा किसी भी प्रकार से अनुज्ञा/विज्ञापन शुल्क अपवन्चन करने अथवा किसी भी प्रकार से निगम की सम्पत्ति/सार्वजनिक सम्पत्ति के स्वरूप को क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में यदि नगर आयुक्त उपयुक्त समझेगें तो सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता को ब्लैकलिस्टिड के साथ-साथ उपयुक्त कानूनी प्राविधानों के अन्तर्गत मुकदमा/प्राथमिकी इन्द्राज कराने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकेगें।

6–भविष्य में केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार अथवा किसी अन्य इकाई अथवा किसी अन्य रिति से विकसित की जाने वाली योजनाओं परियोजनाओं में प्रदर्शन हेतु स्थापित किये जाने वाले बाह्य विज्ञापन पटों की स्थापना, नियंत्रण एवं शुल्क वसूली का अधिकार निगम में निहित होगा।

7–नगर आयुक्त ऐसे विज्ञापन पटों पर देय शुल्क वसूली हेतु सम्बन्धित इकाई/विभाग से संयुक्त साझेदारी (Joint partnership)/संयुक्त उक्रम (Joint Venture) स्थापित करने के लिये अधिकृत होगें।

8–प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियों को नवीन वित्तीय वर्ष हेतु यदि फर्म का पंजीकरण नवीनीकृत कराना है तो सम्बन्धित ऐजेन्सी को नवीनीकरण की सभी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक अपना नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा। यदि कोई फर्म उक्त अवधि में बिना किसी उपयुक्त कारण अपनी फर्म के पंजीकरण के नवीनीकरण कराने में असमर्थ रहती है तो उक्त फर्म का पंजीकरण स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। तथा निरस्तीकरण के उपरान्त यदि फर्म स्वामी द्वारा फर्म के पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाता है तो उक्त फर्म स्वामी को निम्न प्रकार श्रेणीवार नवीनीकरण शुल्क का भुगतान निगम कोष में जमा कराया जाना होगा। यह नवीनीकरण शुल्क किसी भी परिस्थिति में उस वित्तीय वर्ष अथवा आगामी किसी भी वित्तीय वर्ष के विज्ञापन शुल्क में न तो समायोजित किया जायेगा ओर न ही किसी भी परिस्थिति में किसी भी रूप में फर्म स्वामी को वापस ही किया जायेगा। नवीनीकरण शुल्क की दरें निम्नवत होगी-

6–प्रवर श्रेणी-2,00,000.00 रु0

7–श्रेणी ए0-1,50,000.00 रु0

8–श्रेणी बी0-1,00,000.00 रु0

9–श्रेणी सी0-50,000.00 रु0

10–श्रेणी डी0-30,000.00 रु0

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मेरठ।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ (मथुरा)

दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 ई0

सं0 4/2019-20/282—निदेशक, स्थानीय निकाय के पत्र सं0 8/3097-सा0/लखनऊ दिनांक 30 मई 2014 जो कि उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग-9 के विज्ञापन कर हेतु आदर्श उपविधि बनाये जाने हेतु पत्र सं0 433/9-9-14-277ज /95टी0सी0-2 दिनांक 23 अप्रैल, 2014 के क्रम में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) की सूची एक शीर्षक ''च'' के अधीन कोसीकलॉ, नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ की सीमा के अन्तर्गत विज्ञापन, पोस्टर सूचना एवं कपड़े के बैनर, दीवार पेन्ट, साइन बोर्ड, गलोसाइन बोर्ड्स, द्वारा विज्ञापनों को विनियमित एवं नियन्त्रित करने के लिये शासन के उक्त संख्या सन्दर्भित निर्देशों के पालन में विज्ञापन कर हेतु आदर्श उपविधि उक्त अधिनियम की धारा 301 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतदद्वारा प्रकाशित करता है। उपविधि, 2019 बोर्ड प्रस्ताव सं0 4 (च) दिनांक 12 जून, 2019 के द्वारा स्वीकृत हैं। प्रस्तावित उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति व सुझाव यदि कोई हो तो नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ के कार्यालय में नोटिस प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर लिखित रूप सें प्रस्तुत करने हेतु उपविधि दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करायी गयी थी, लेकिन समयान्तर्गत कोई भी आपत्ति/सुझाव पालिका में प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः उक्त उपविधि का अन्तिम प्रकाशन कराया जाता है।

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

1—यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली विनियमन उपविधि, 2019 कही जायेगी।

2—यह नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ की सीमा में प्रभावी होगी।

3—यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषायें—

1—जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में—

(एक)—''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1976 अथवा भविष्य में संशोधित एक्ट से है।

(दो)—''नगरपालिका बोर्ड'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् कोसीकलॉ जनपद मथुरा से है।

(तीन)—''नगरपालिका सीमा'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् कोसीकलॉ, जनपद मथुरा की सीमा से है, तथा संशोधित सीमायें जो हों, इनमें सम्मिलित मानी जायेगी।

(चार)—''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् कोसीकलॉ के अधिशासी अधिकारी से है।

(पाँच)—''विज्ञापन'' का तात्पर्य किसी ऐसे पत्रांक, सूचना, पोस्टर, कपड़े के बैनर, ग्लो साईन बोर्ड कागज के छोटे पोस्टर, चिपकाने वाले या साईन बोर्ड, दीवाल पेन्ट या अन्य किसी ऐसे वस्तु से हैं जो विज्ञापन के लिए प्रयुक्त की गई हो जिसमें स्टेन्सिल के छापे लिए या रंगीन तथा इसमें तस्वीर और रेखाचित्र सम्मलित है। जो इस हेतु बनाये गये हैं।

(छः)—''भवन'' का तात्पर्य झोपड़ी, छप्पर या अन्य छतदार निर्मित चाहे वह किसी भी निर्मित बनायी गयी हो तथा उसके प्रत्येक भाग जिसमें बाहरी दीवाल पेरा या भवन के किसी भाग से है।

(सात)—व्यक्ति में वे सम्मिलित हैं जो विज्ञापन कार्य के लिये नियुक्त किया गया तथा फर्म या कम्पनी का मालिक, स्वामी, प्रतिनिधि साझीदार या प्रबन्धक आदि जिसके लिये विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है।

3—अधिशासी अधिकारी या निरीक्षक या किसी अन्य कर्मचारी में अधीक्षण में अभिलेख का रख-रखाव करायेंगे तथा स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत नगरपालिका परिषद् के अन्य अधिकारी द्वारा अनुज्ञायक जारी करेंगे।

4—कोई भी व्यक्ति नगरपालिका परिषद्, कोसीकलां की. सीमा के अन्तर्गत किसी स्थान या भवन या वाहन पर कोई विज्ञापन जिसका उल्लेख ऊपर उपनियम एक में लिया गया है। प्रदर्शित करने या जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये बिना अधिशासी अधिकारी के पूर्व स्वीकृत प्राप्त किये न तो लगायेगा और न लगाने का अधिकार होगा।

5–नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ की सीमा के अन्तर्गत किसी स्थान के उपयोग की आज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र निश्चित स्थान के लिये दो स्पष्ट मानचित्र प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री या धर्मार्थ की जाने वाली तस्वीर की दो प्रति विज्ञापन का आधार तथा कितने समय के लिरे मांगी गई हो उसके उल्लेख के साथ अधिशासी अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिये या उसके विषय भाषा स्थान की उपर्युक्ता आदि को देखते हुए, अशिष्टता, उत्तेजना, नैतिक, दृष्टिकोण के विरोध में आपत्ति जनक चरित्र की जांच करने के पश्चात् लिखित रूप से आज्ञा प्रदान करेंगे। स्वीकृति प्राप्त ऐसे प्रत्येक पत्रक सूचना पोस्टर कपड़े के बैनर, कागज के छोटे पोस्टर आदि की किसी कारणवश हटाने हेतु पालिका द्वारा लिखित रूप से सूचित किया जायेगा।

6–अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा स्वीकृत आज्ञा को आपात स्थिति में या जनहित में रद्द कर दें या काट दें या रोक दें तो ऐसी स्थिति में शुल्क का यथोचित भाग उनके द्वारा वापिस किया जायेगा।

7–नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ की सीमा के अर्न्तगत अनाधिकृत विज्ञापन लगा होने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति के भूमय जोखिम और खर्चे पर हटा दें और इस प्रकार किया गया व्यय अधिनियभ के अध्याय 6 के अन्तर्गत उस व्यक्ति या फर्म से वसूल कर लें जिसके लिये या जिसका विज्ञापन लगवाया गया यदि विज्ञापन हटाये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर न हटाया जाये तो अधिशासी अधिकारी सम्बन्धित लोगों को इसके लिये सात दिन की सूचना देकर ऐसे विज्ञापनों के बोर्ड/होर्डिंग आदि को नीलाम कर सकता है जिसका पैसा पालिका का होगा।

इन उपनियमों के अन्तर्गत प्रत्येक आज्ञा के स्वीकार किये जाने पर निम्नलिखित दर से शुल्क अग्रिम जमा करना होगा।

8–इन उपनियमों के अन्तर्गत प्रत्येक आज्ञा को स्वीकार किये जाने पर निम्नलिखित दर से शुल्क अग्रिम जमा करना होगा–

क्रम सं0	विज्ञापन का प्रकार	दर
1	2	3
1	सभी प्रकार के होर्डिंग्स	रु0 10/– प्रति वर्गफीट मासिक
2	सभी प्रकार के कपड़े के बैनर	रु0 5/– प्रति वर्गफीट मासिक
3	सभी प्रकार के कागज के पोस्टर	रु0 500/– प्रति सैकड़ा
4	सभी प्रकार के वॉल पेन्टिंग	रु0 2/– प्रति वर्गफीट मासिक
5	सभी प्रकार के वाहनों से विज्ञापन	रु0 1,000/– प्रतिदिन
6	सभी प्रकार के पोल, क्रॉस आदि द्वारा विज्ञापन	रु0 10/– प्रतिदिन वर्गफीट मासिक

9–साइन बोर्ड/ग्लो बोर्ड का आकार आठ वर्गमीटर से अधिक न होगा।

10–कपड़े के बैनर की चौड़ाई आधा मीटर से अधिक नहीं होगी और वह सड़क के बराबर से 5 मीटर की ऊँचाई से कम पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

11–उपरोक्त नियम 8 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क निम्न पर देय नहीं होगा–

(एक)–ऐसे विज्ञापन जो सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थाओं के कार्यों के तदर्थ हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कार्यवाही लगायी जाये।

(दो)–ऐसे साइन बोर्ड जो सम्बन्धित दुकान/संस्थान में होने वाले व्यवसाय का शुल्क हो।

(तीन)–धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, स्कूल कॉलेज विज्ञापन उपरोक्त में शर्त यह है कि सभी के सम्बन्ध में पूर्व सूचना अधिशासी अधिकारी को देना अनिवार्य है।

दण्ड

उत्तर प्रदेश पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ एतद्द्वारा निर्देश देती है कि नियमावली का उल्लंघन करने वाला अर्थदण्ड का भागी होगा जो अंकन पर रु0 2,000.00 तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो प्रथम दोष सिद्धि की तिथि से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है। अंकन रु0 5,000.00 प्रतिदिन अर्थदण्ड दिया जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशाषी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, कोसीकलाँ (मथुरा)।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 ई0

सं0 4/2019-20/283—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन 1916) की धारा 298 तथा उनके साथ अंकित सूची-1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके तथा बोर्ड की बैठक दिनांक 21 मार्च, 2015 के प्रस्ताव संख्या 1(ब) के निर्णयानुसार नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ, जनपद मथुरा जिस उपविधि बनाने का प्रस्ताव करती है, उसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 301 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित करता हैं। प्रस्तावित उपविधि के सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझाव यदि कोई हो, तो प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर लिखित रूप में नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ, जनपद मथुरा में प्रस्तुत करने हेतु दैनिक समाचार-पत्रों में उपविधि प्रकाशित करायी गयी थी, लेकिन समयान्तर्गत कोई भी आपत्ति/सुझाव पालिका में प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः उक्त उपविधि का अन्तिम प्रकाशन कराया जाता है।

उपविधि

1—संक्षिप्त शीर्ष नाम और प्रारम्भ—

1—यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ मथुरा की टावर स्थापना, नियंत्रण एवं विनियम उपविधि, 2019 कहलायेगी।

2—यह नगरपालिका परिषद् कोसीकलॉ की सीमा में लागू होगी।

3—यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषायें—

(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में (एक) अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(2) ''टावर'' से तात्पर्य रेडियों, दूरदर्शन, मोबाइल फोन, अन्य फोन या दूरसंचार सम्बन्धी अन्य माध्यमों के संकेतक या रश्मियों भजन और संयोजन तथा संवाहकर्ता स्थापित रखने हेतु निर्मित ऊँची संरचना से है।

(3) ''सेवा प्रदाता'' से तात्पर्य किसी कम्पनी उसके कर्मचारी अभिकर्ता अनुज्ञापी संविदाकर्ता या अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से है जिसके द्वारा अथवा निर्देशन अथवा पर्यवेक्षण में टावर लगाया जाना प्रस्तावित हो या लगाया गया हो।

(4) भवन के अन्तर्गत मकान, घर के बाहर के कक्ष झोपड़ी या अन्य घिरा हुआ स्थान या ढाँचा है चाहे वह पत्थर, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या अन्य किसी वस्तु से बना हो और चाहे वह मनुष्यों को रहने के लिए या अन्यथा प्रयुक्त होता हो और इसके अन्तर्गत बरामदे, चबूतरे मकानों की कुर्सियों दरवाजे की सीढ़ियाँ, दीवालें तथा हाते की दीवालें और मेंड़ तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी है।

(5) भूमि के अन्तर्गत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो रहा अथवा निर्माण हो चुका है अथवा जो पानी से ढकी हो भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न अथवा भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी सूत्र से बाँधी हुईं वस्तुयें और वे अधिकार हैं जो किसी सड़क के सम्बन्ध विधायन द्वारा सृजित हुए हैं।

(6) ''नगरपालिका'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, कोसीकलां से है।

(7) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समुदेशित हों।

3–प्रतिषेध–

(1)–अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कोई सेवा प्रदाता कम्पनी, कर्मचारी, अभिकर्ता, अनुज्ञापी या संविदाकर्ता या कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन या वाहन पर कोई टावर या इसी प्रकार की अन्य संरचना जिससे किसी सामान्य पज्ञावाले व्यक्ति को टावर होने का आभास हो, न तो प्रतिष्ठापित करेगा न परिनिर्मित करेगा न खड़ा करेगा न गाड़ेगा।

(2)–नगरपालिका सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करेगा, न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाड़ेगा, और न ही किसी व्यक्ति, कम्पनी संस्था या उसके कर्मचारी, अभिकर्ता या अनुज्ञापी को ऐसे भवन या भूमि पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करने देगा, न परिनिर्मित करने देगा, और न खड़ा करने देगा, न गाड़ने देगा।

(3)–कोई टावर इस रीति से स्थापित नहीं किया जायेगा जिसमें यातायात अथवा समीपस्थ भवनों तथा उनके अध्यासियों को नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता अथवा लोक सुरक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान हो।

4– अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया–

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किया जायेगा जिसे (धनराशि) रु0 भुगतान करके नगरपालिका कार्यालय से या नगरपालिका वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। नगरपालिका कार्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद और वेबसाइट से डाउनलोड किया गया आवेदन-पत्र करते समय उसके आवेदन-पत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अपेक्षित लाइसेंन्स अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।

(3) प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहाँ ऐसी भूमि भवन या स्थान, के पास प्रस्तावित टावर प्रतिष्ठापित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना, खड़ा किया जाना, गाड़ा जाना, चिपकाया जाना या लटकाया जाना वांछित हो।

(4) आवेदन-पत्र के साथ टावर की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण, अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट, आवश्यक चित्र तथा संगणना प्रस्तुत की जायेगी।

(5) आवेदक द्वारा भूमि अथवा भवन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र के साथ ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति उसके स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

(6) भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यक्तिक्रम की स्थिति में यह टावर हेतु प्रत्येक प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) टावर से सम्बन्धित विवरण जैसे–ऊँचाई भार, भू-तल पर स्थापित या छत पर एन्टिना की संख्या तथा अन्य अपेक्षित सूचनायें और विशिष्टयों अंकित की जायेगी।

(8) ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन, आफ इण्डिया द्वारा डीजी जनरेटर सेट के निर्माता को जारी टाईप टेस्ट सर्टीफिकेट की प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

(9) ऊँचे भवनों की दशा में अग्नि शमन विभाग से क्लियरेन्स प्राप्त किया जायेगा।

(10) संरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की अनापत्ति वांछित होगी।

5–अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें–

(1)–किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने, या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी–

(क)–अनुज्ञा केवल उसी अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो व शर्तें शुल्क इस उपविधि के अधनी सदत्त और जमा किया गया है।

(ख)–टावर को समुचित स्थितियों और दशाओं में रखा और अनुरक्षित किया जायेगा।

(ग)–प्रदान की गई अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(घ)–सेवा प्रदाता कम्पनी या व्यक्ति ऐसी अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गई थी, की समाप्ति के एक सप्ताह के पूर्व अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क जमा करेगा। शुल्क न जमा करने की स्थिति में एक सप्ताह में टावर हटा दिया जायेगा।

(ड़)–टावर अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किए जायेंगें, परिनिर्मित किए जायेंगे, खड़े किए जायेंगे, गाड़े जायेंगे, चिपकाये जायेंगे या लटकाये जायेंगे। टावर किसी हेरिटेज/संरक्षित स्मारकों/भवनों पर स्थापित नहीं किये जायेंगे।

(च)–टावर से समीपस्थ भवनों के आवागमन, प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा और न ही लोक बाधा अथवा यातायात में बाधा उत्पन्न की जायेगी।

(छ)–लोकहित में अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञा अवधि समाप्त होने से पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दें।

(ज)–ढाँचों, अवलम्बों और पटिटयों सहित टावर को अज्जवलनशील सामग्री से निर्मित किया जोयगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और सभी वायरिंग सुरक्षित और रोधित रखी जोयगी।

(झ)–भूमि अथवा छत पर लगाने वाले ट्रॉस रिसीविंग सिस्टम (वी0टी0एस0) के सम्बन्ध में भवन के ढाँचे की डिजाइन तथा टावर के आधार के स्थायित्व और सुद्रढ़ता के प्रमाण-पत्र पर स्थानीय निकाय या राज्य सरकार या सी. बी.आर.आई. रूड़की या आई.आई.टी.एन. आई.आई.टी, या किसी अन्य संस्था के अधिकृत संरचना अभियन्ता द्वारा की गयी लिखित अपेक्षित होगा।

(ञ)–किसी भवन के छत पर कोई टावर इस प्रकार प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान हों।

(ट)–कोई टावर किसी छत पर तब तक प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत अज्जवलनशील सामग्री का न हों।

(ठ)–कोई टावर भवन विद्यमान एलाइनमेन्ट से बाहर किसी भी दशा में नहीं बढ़ेगा।

(ड़) प्रत्येक टावर को पूर्णतया सुरक्षित रखा जायेगा। ऐसे भवन या संरचना जिस पर यह प्रतिष्ठापित या परिनिर्मित हों, का सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप से संवितरित होंगे।

(ढ)–विभाग पत्तनों के समीप टावर स्थापना हेतु विमान पत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र करना आवश्यक होगा।

(ण)–टावर के स्थापना हेतु प्रथम वरीयता वन क्षेत्र एवं द्वितीय वरीयता आबादी से दूर खुले या सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जायेगा। टावर आवासीय क्षेत्रों में लगाने से बचा जाय किन्तु जहाँ यह सम्भव न हो वहाँ यथा सम्भव खुली भूमि पर उसे स्थापित किया जाये।

(त)–टावर पर लगा एटिना समीपस्थ भवन से न्यूनतम 03 मीटर दूर और उसका निम्न धरातल अथवा छत से न्यूनतम 30 मीटर की ऊंचाई पर होगा।

(थ)–टावर की स्थापना किसी शैक्षिक संस्थान, अस्पताल परिसर अथवा संकरी गलियों (जिनकी चौ0 05 मी0 से कम हो) में नहीं की जायेगी। टावर किसी अस्पताल अथवा शैक्षिक संस्था के 100 मीटर की त्रिज्या में भी स्थापित नहीं किये जायेंगे।

(द)–टावरों की स्थापना हेतु (भूमिगत या छत पर) एन्टीना के ठीक सामने कोई बिल्डिंग इत्यादि होने की स्थिति में टावर/बिल्डिंग की न्यूनतम दूरी निम्नवत होगी–

क्रम सं0	गुणज एन्टीनों की संख्या	एन्टीना से बिल्डिंग/संरचना की दूरी (सुरक्षित दूरी) (मी0)
1	2	35
2	4	45
3	6	55
4	8	65
5	10	70
6	12	75

(घ)–क्षेत्र विशेष में कई कम्पनियों द्वारा ट्रांसमिशन स्थल वांछित होने पर उन्हें यथा सम्भव एक ही टावर पर स्थापित कराना होगा।

(न)–टावर अथवा उस पर स्थापित एंटिना तक सामान्य जन के पहुँच को समुचित तरीके जैसे कंटीले तार, छत पर जाने के दरवाजे अथवा बाउन्ड्री वाल बनवाकर गेट पर ताला आदि लगाकर प्रतिबन्धित किया जायेगा। अनुरक्षण कर्मियों को भी यथासम्भव कम से कम अवधि के लिए टावर तक पहुँचने की अनुमति दी जायेगी।

(प)–टावर स्थल पर साइन बोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जो स्पष्ट दृष्टव्य होगा और चेतावनी चिन्ह स्थल के प्रवेश द्वार पर लगाया जाना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप में अंकित किया जाये।

(फ)–सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनियों द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डॉट) के टर्म सेल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रेडिएशन के सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(ब)–प्रत्येक सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर स्थापना के समय स्थल के चारों ओर बेरीकेटिंग, टिन आदि लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(भ)–ऐसे स्थलों, जहां यातायात हेतु दृष्यता में बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहां टावर लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(म)–जहां इससे स्थानीय नगरीय सुविधायें प्रभावित हो वहां अनुमति देय नहीं होगी।

(य)–आवेदक द्वारा विभिन्न संबंधित विभागों और प्राधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होग।

(र)–टावर स्थापना, मरम्मत या संबंधित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात~ जन सुविधा का पूर्ण दायित्व आवेदक अथवा सेवा प्रदाता को होगा। किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति और उसके परिणामों के लिये आवेदक या सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।

(ल)–टावर पर किसी प्रकार का विज्ञापन सम्प्रदर्षित नहीं किया जा सकेगा।

(व)–भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6–क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र–(1)–प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी, उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर या टावर की स्थापना से हुई दुर्घटना या किसी हानि के लिये क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7–सम्पत्ति कर का आरोपण–(1)–टावर के पास निर्मित जनरेटर कक्ष, उपकरण कक्ष, चौकीदार कक्ष या अन्य कक्षों पर अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अधीन सम्पत्ति कर का आरोपण किया जायेगा और अनुज्ञा शुल्क के साथ वसूला जायेगा।

8–अनुज्ञा की अवधि और नवीनीकरण–(1)–अनुज्ञों विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीनीकरण उसके जारी होने के दिनांक से अनधिक दो वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी।

9–टावर को हटाने की शक्ति–(क)–यदि कोई टावर इस उपविधि के उल्लंघन में प्रतिष्ठापित किया जाता है, परिनिर्मित किया जाता है, खड़ा किया जाता है, या गाड़ा जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा और अशांति का कारण हो, तो अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत अधिकारी किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता है और जमा प्रतिभूमि से निम्नलिखित धनराशियों को वसूल सकता है–

(एक)–टावर हटाये जाने का व्यय।

(दो)–ऐसी अवधि जिसके दौरान टावर प्रतिष्ठापित किया गया था. परिनिर्मित किया था, खड़ा किया गया था, गाड़ा गया था, के लिए हुई क्षति का धनराशि।

10–टावर पर निर्वन्धन–(1)–किसी संविदा या अनुरोध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने, या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित स्थिति में नही दी जायेगी।

(क)–ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो।

(ख)–राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर से 20 मीटर के भीतर,

(ग)–अन्य मार्गों के यानमार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर

(घ)–ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों चिकित्सालयों शैक्षिक सस्थाओं सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के ऊपर।

(ड़)–जब इससे स्थानीय नागरिक सुविधायें प्रभावित और वांछित हो।

(च)–किसी परिसर के बाहर क्षेपित हो।

(छ)–राज्य, सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित निषिद्ध क्षेत्र के भीतर हो।

11–निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा–(1)–नगरपालिका, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी स्थान या स्थान क्षेत्र या क्षेत्रों को टावर प्रतिष्ठापित करने परिनिर्मित करने खड़ा करने या गाड़ने के लिए निषिद्ध घोषित कर सकती है।

12–अनुरक्षण–(1)–सभी टावर जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बों बेंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों की दृष्टिकोण से होंगी और यदि चमकीले, अज्जवनशील सामग्री से निर्मित नहीं है तो उन पर मोर्चा आदि से रोकने हेतु रंग रोगन किया जायेगा।

(2)–प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनीं, उसके कर्मचारी, अभिकर्ता अनुज्ञापी या व्यक्ति का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह टावर से आच्छादित परिसर में सफाई स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3)–सेवा प्रदाता कम्पनी के अनुरोध पर विद्युत संयोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

13–प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति–(क)–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत कोई अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, माप या जांच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि के अधीन हो, किसी उपबन्ध के अनुसरण के सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर या उस पर प्रवेश कर सकता है।

14–शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान की रीति–(1)–इस निर्मित वार्षिक शुल्क न्यूनतम 30,000/– प्रति टावर प्रतिवर्ष और प्रतिभूति 50,000/– एफ.डी.आर. जो अधिशासी अधिकारी के पद नाम बन्धक होगी अथवा नगद 500/– रूपया आवेदक शुल्क निर्धारित किया जाता है।

(2)–वार्षिक शुल्क एकल किश्त में संदेय होगी। जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने, गाड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3)–किसी कटौती के न होने पर प्रतिभूति की पूरी धनराशि और कटौती अथवा समायोजन होने पर अवशेष धनराशि अनुज्ञा समाप्त होने की तिथि से एक सप्ताह में वापस कर दी जायेगी।

(4)–यह शुल्क उन टावरों पर लागू नहीं होगा, जिनकी राज्य सरकार अथवा नगर निकायों द्वारा जनसुविधाऐं यथा सी0सी0टी0वी0 कैमरे, प्रकाश यंत्र आदि लगाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो।

(5)–वार्षिक शुल्क प्रतिभूति नगरपालिका बोर्ड की विशेष संकल्प द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है।

(6)–वार्षिक शुल्क नगर सीमा में लगे पुराने टावर पर भी देय होगी तथा नियम शर्ते इन पर भी लागू होगी।

(1)–इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार तक हो सकता है और उल्लंघन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा ऐसे जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2)–इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशाषी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, कोसीकलाँ (मथुरा)।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 ई0

सं0 4/2019-20/284–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) व (2) के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूची (1) के शीर्षक (ज) लोक सुरक्षा और सुविधा के उपशीर्षक (ड) के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् कोसीकलॉ, (मथुरा) ने निदेशक स्थानीय निकाय के पत्र सं0 8/701/152(4) चतु0रा0वि0आ0/2018-19 दिनांक 30 अगस्त, 2018 एवं उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुंभाग-9 के आदेश सं0 69/ नौ-9-2016-400ज/11 दिनांक 29 फरवरी, 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अपनी सीमा में स्थिति विद्युत सब स्टेशनों/ट्रान्सफार्मरों/पोलों को नियन्त्रित करने एवं शुल्क आरोपित करने हेतु नियम/उपविधियाँ बनायी है। जिसे विशेष प्रस्ताव सं0 4(द) दिनांक 12 जून, 2019 द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। नगरपालिका परिषद् कोसीकलॉ का कोई निवासी जिसे यहां संलग्न प्रस्ताव या नियमावली पर कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक पक्ष यानि 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति लिखित रूप में नगरपालिका परिषद् कोसीकलॉ के कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु उपविधि दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित करायी गयी थी, लेकिन समयान्तर्गत कोई भी आपत्ति पालिका में प्राप्त नहीं हुयी हैं। अतः उक्त उपविधि का अन्तिम प्रकाशन कराया जाता है।

उपविधियाँ

1–**संक्षिप्त नाम**-यह नियमावली नगरपालिका परिषद् कोसीकला (मथुरा) के अन्तर्गत अधिष्ठापित विद्युत सब स्टेशन/ट्रान्सफार्मर/पोल शुल्क नियमावली, 2019 कहलायेगी।

2–**प्रसार**–यह नगरपालिका परिषद, कोसीकलॉ (मथुरा) की सम्पूर्ण सीमा में प्रभावी समझी जावेगी।

3–नगरपालिका से तात्पर्य ''नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ जनपद मथुरा'' से हैं।

4–अध्यक्ष का तात्पर्य ''नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ (मथुरा) के अध्यक्ष'' से है।

5–अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य ''नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ (मथुरा) के अधिशासी अधिकारी'' से है।

6–यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी समझी जावेंगी।

7–नगरपालिका परिषद, कोसीकलॉ (मथुरा) सीमा के अन्तर्गत अधिष्ठापित सब स्टेशन/ट्रान्सफार्मर/पोल जिसका उल्लेख शुल्क की सूची में किया गया है, से निर्धारित शुल्क की वसूली सम्बन्धित विद्युत विभाग/निगम/अन्य संस्था जिसके नियन्त्रणाधीन है, से वार्षिक रूप में की जायेंगी।

8–राज्य विद्युत विभाग/निगम/अन्य संस्था को अनिवार्य होगा कि नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ (मथुरा) की सीमाओं में स्थित संब स्टेशनों/पोल्स की संख्या देगा, पुनः स्थापित करने, नये गाड़ने, गिरने अथवा उखाडने की सूचना कार्यालय नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ (मथुरा) में देगा।

9–पोल्स एवं सब स्टेशनों/ट्रान्सफार्मर के स्थापित करने की सूचना विद्युत विभाग/निगम/अन्य संस्था नगरपालिकां परिषद्, कोसीकलॉ को देगा, सूचना में उस स्थान को मानचित्र भी दिया जायेगा जहाँ पोल अथवा सब स्टेशन/ट्रान्सफार्मर कायम किये जाने वाले हों।

10–पोल्स एवं सब स्टेशनों/ट्रान्सफार्मर के स्थापित करने की सूचना विद्युत विभाग/निगम/अन्य संस्था तकनीकि बाधा न होने की दशा में नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ द्वारा निश्चित स्थान पर पोल्स आदि की स्थापना करनी होगी।

11–पोल्स एवं सब स्टेशनों/ट्रान्सफार्मर की देखभाल व मरम्मत रख–रखांव का उत्तरदायित्व स्वयं विद्युत विभाग/निगम/अन्य संस्था को होगा।

12–यदि कोई पोल जड़ से गल जाता है या एक्सीडेन्ट से टूट जाता है या फिर गिर जाता है तो तत्काल विद्युत विभाग/निगम/अन्य संस्था बदलेगा/ठीक करेगा।

13–विद्युत विभाग/निगम/अन्य संस्था के लिए अनिवार्य होगा कि पोल्स, सब स्टेशनों का नियमित निरीक्षण करेगा और प्रत्येक आवश्यक और आकस्मिक परिवर्तन की सूचना नगरपालिका परिषद् कोसीकलॉ को देगा।

14–पोल्स/सब स्टेशनों/ट्रान्सफार्मरों की गणना नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ द्वारा की जायेगी, जिसकी संख्या में यदि कोई कमी अथवा अधिकता प्रमाण सहित पायी जायेगी तो तदनुसार भाुल्क संशोधन करा दी जायेगी, अथवा नगरपालिका द्वारा दी गयी संख्या व सूची के अनुसार आरोपित शुल्क निर्धारित अवधि में नगरपालिका को विद्युत विभाग/निगम अन्य संस्था अदा करेगा।

15–पोल्स के मध्य विद्युत तारों को फैलाव इंस प्रकार किया जायेगा कि वह किसी भवन के ऊपर न जाये।

16–बिजली की लाइन वाहन के आवागमन में बाधक न हों, समुचित ऊँचाई पर रखा जायेगा।

17–मैन लाइन के क्रासिंग रथल तथा आवागमन के स्थानों पर गार्ड वायर या गार्ड लाइन के नीचे स्थापित करने होगें।

18–मैन लाइन का खिंचवा विद्युत नियमों के अनुसार रखा जायेगा और आधुनिक गार्ड संयंत्रों से किया जायेगा।

शुल्क अनुसूची

1–जो ट्रान्सफार्मर जमीन पर फाउण्डेशन बनाकर रखा गया हो उस पर रु0 10,000.00 वार्षिक।

2–जो ट्रान्सफार्मर छोटे आकार का दो खम्भों पर रखा गया हो उस पर रु0 5,000.00 वार्षिक।

3–नगर में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सब स्टेशन पर शुल्क रु0 15,000.00 वार्षिक।

4–शुल्क को भुगतान प्रतिवर्ष नगर निकाय को वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में सम्बन्धित विभाग/निगम को करनी होगा।

5–नियत समय के अन्दर शुल्क का भुगतान न करने पर नगरपालिका परिषद् विद्युत विभाग/निगम/अन्य संस्था के विद्युत उपभोग हेतु प्रेषित विधिवत बिलों के भुगतान में से समायोजित कर लेगी और अधिशेष यदि कोई बकाया रहता है तो विद्युत विभाग/निगम/अन्य संस्था से वसूला जायेगा एवं भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली की जावेगी।

छूट / अधिभार

यदि राज्य विद्युत परिषद्, विद्युत निगम / अन्य संस्था प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में सम्पूर्ण शुल्क अदा कर देता है तो उसे 05 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसा न होने पर 05 प्रतिशत छूट समाप्त हो जायेगी और देय मांग पर 10 प्रतिशत अधिभार के रूप में विद्युत विभाग / निगम / अन्य संस्था पर अतिरिक्त देय हो जायेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की घारा 299(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, कोसीकलॉ (मथुरा) यह आदेश देती हैं कि इस नियमावली का किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर रु0 2000.00 (दो हजार) मात्र अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा और यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड लगाया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के दिनांक से निरन्तर उल्लंघन जारी रहने पर रु0 100.00 (एक सौ) मात्र प्रतिदिन हो सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशाषी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद, कोसीकलाँ (मथुरा)।

कार्यालय नगर पंचायत अमेठी, जनपद-लखनऊ

18 मई, 2022

सं0 105 / न0 पं0 अमेठी (उपविधियों) / भवन निर्माण / प्रकाशन / 2021–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या-2, 1916) की धारा 298 (2) के उपखण्ड (क) क, ख, ग, घ, ड. के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत, अमेठी जनपद-लखनऊ की बोर्ड बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2021 के संकल्प संख्या-02 के अन्तर्गत अपनी सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण उपविधि बनाई है। उपविधियों का प्रारूप उक्त एक्ट की धारा-301(1) की यथा अपेक्षा अनुसार सभी नगर निवासियों को आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से 15 दिवस के लिए प्रकाशित किया जाता है। सभी आपत्तियां एवं सुझाव अधिशासी अधिकारी को सम्बोधित इस कार्यालय को प्रेषित किये जाएंगे। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा जो नियत तिथि तक प्राप्त होंगे। निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस उपविधियों से पूर्व यदि कोई उपविधि हो तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझा जाएगा।

भवन निर्माण उपविधि, 2021

1–शीर्षक–यह उपविधि नगर पंचायत अमेठी, जनपद–लखनऊ भवन निर्माण उपविधि वर्ष-2021 कहलाएगी।

2–परिभाषायें–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में –

1–''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम-संख्या-2, 1916 से है।

2–''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत अमेठी, जनपद-लखनऊ के अधिशासी अधिकारी से है।

3–''बोर्ड / समिति'' का तात्पर्य नगर पंचायत अमेठी, जनपद-लखनऊ के बोर्ड / समिति से है।

4–''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर पंचायत अमेठी, जनपद-लखनऊ के अध्यक्ष / प्रशासक से है।

5–''नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत अमेठी, जनपद-लखनऊ से है।

6–''नगर पंचायत की सीमाओं'' का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

3–नोटिस–यदि कोई व्यक्ति जो नगर पंचायत अमेठी, जनपद–लखनऊ की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भूखण्ड का स्वामी है और किराये पर देने और विक्रय करने अथवा पट्टे पर देने का हक रखता है और उस पर निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो वह उक्त एक्ट की धारा–178 के अर्न्तगत नगर पंचायत को निर्धारित प्रारूप में नोटिस देगा।

नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण व मानचित्र संलग्न करना होगाः–

(क) स्थल का मानचित्र–अनुज्ञा के प्रार्थना पत्र के साथ प्रेषित मानचित्र एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के पैमाने से कम नहीं खींचा जाएगा तथा उसमें निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित होंगे :–

1–स्थल की सीमाएं और उनकी माप तथा समीपवर्ती भूमि, जो उनके स्वामी की हो।

2–स्थल का नजरी नक्शा (की प्लान) तथा भू-विन्यास या भू-खण्डों का विभाजन।

3–समीपवर्ती सड़कों की स्थिति तथा सड़क/सड़कों के नाम जिन पर भवन स्थित है।

4–भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र।

5–विद्यमान सड़क से भवन तक तथा सभी भवनों तक जो प्रार्थी सीमावर्ती भूमि पर बनाना चाहता है, पहुंचने (यदि कोई हो) का मार्ग।

6–स्थल का क्षेत्रफल, कुर्सी का क्षेत्रफल, प्रत्येक फर्स का क्षेत्रफल।

7–प्रस्तावित भवन का विस्तृत मानचित्र जिसमें भवन सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित हों।

8–यदि किसी बड़े भू-खण्ड पर कई आवासीय भवन पृथक्-पृथक् परिवार के लिए बनाये जाने हो तो सभी व्यक्तियों के आने जाने हेतु अपनी भूमि से सार्वजनिक सड़क के रूप में जगह छोड़ी जाएगी, जिसे विकसित करना होगा।

(ख) भवनों का मानचित्र–भवन के अगले भाग तथा खण्ड के विस्तृत मानचित्र जो नोटिस के साथ संलग्न हों, एक मीटर बराबर एक सेन्टीमीटर के माप के खींचे होने चाहिए और उनमें विभिन्न रंगों में दिखलाया जाना चाहिए। मानचित्र में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगेः–

1–प्रति एक मंजिल का मानचित्र, प्रत्येक तल के आच्छादित भाग का विवरण, सभी कमरों, खिड़कियों, रोशनदानों, खुलने वाले दरवाजों, सीढ़ीयों आदि को ठीक स्थिति तथा आकार।

2–नालियों, गटरों, जल निकासी, बिजली लाईन तथा अन्य जन प्रयोग की चीजों की स्थिति।

3–शौचकूप, स्नानागार, नाबदान जैसे सेवाओं की वास्तविक स्थिति।

4–मानचित्र में नवीन निर्माण, जिसके लिए प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया जाएगा, लाल रंग तथा पुराना भवन नीले रंग से दिखाया जाएगा।

5–भू-खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर सेट बैट भवन का फ्रन्ट एलीवेशन, की-प्लान, साइट-प्लान, तलपट्ट मानचित्र, सर्विसेज प्लान आदि का विवरण।

6–मानचित्र में वाहन (दो पहिया/चार पहिया) जो हो खड़े करने का स्थान दर्शाना होगा।

7–मान्यता प्राप्त ड्राफ्टमैन/वास्तुविद् द्वारा निर्मित मानचित्र ही स्वीकार किये जाएंगे।

8–उत्तर रेखा तथा प्रयुक्त पैमाना।

(ग) अन्य विवरण नोटिस के साथ निम्नलिखित विवरण रहेंगे–

1–भवन का उद्देश्य–

(1) स्वयं रहने के लिए।

(2) व्यवसाय व्यापार से सम्बन्धित।

(3) उद्योग धन्धों के लिए।

(4) रहने या दुकान के लिए, प्रार्थना-पत्र में दर्शाया जाएगा।

4–प्लान–इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन/भू-खण्ड के निर्माण, पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित है मानचित्र और विवरण दो प्रतियों में संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लाथ एवं ब्लू प्रिंट में होगा तथा भवन मानचित्र शुल्क जमा की रसीद संलग्न करेगा।

5–मानचित्र अस्वीकृत होने की दशा में जमा शुल्क का 25 प्रतिशत धनराशि स्टेशनरी शुल्क के रूप में रोक ली जाएगी तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि वापस कर दी जाएगी।

6–शुल्क उपनियम-4 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा :–

क्र0सं0	भवन/भू-खण्ड का प्रकार	भू-तल प्रति वर्ग फिट(रू0)	अतिरिक्त तल प्रति वर्ग फिट (रू0)
1	2	3	4
		रुपये	रुपये
1	निवासीय भवन (कवर्ड एरिया)	4.00	2.00
2	निवासीय भवन/भू-खण्ड (ओपन एरिया)	3.00	2.00
3	व्यवसायिक भवन दुकान (कवर्ड एरिया)	10.00	5.00
4	व्यवसायिक भवन दुकान (ओपन एरिया)	8.00	4.00
5	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि	15.00	10.00
6	वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (ओपन एरिया)	10.00	5.00

(1) प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर निर्धारित शुल्क होगा।

(2) इस शुल्क में ट्रेसिंग क्लॉथ का मूल्य शामिल नहीं है।

(3) नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-181 के अर्न्तगत यह स्वीकृति एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

(4) सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(5) भूतल पर सड़क की ओर रहने वाले दरवाजे (किवाड) भीतर की ओर खुलेंगे।

(6) यदि प्रस्तावित निर्माण सार्वजनिक सड़क के सामने किया जाता है तो सड़क की पटरी से 1.20 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ कर निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी।

(7) धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इसी प्रकार अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति शासन की अनुमति के उपरान्त तथा धार्मिक स्थल के बीच से 7.50 मीटर की दूरी न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी पर न हो।

(8) विद्युत लाईन का विस्तार/परिवर्तन विद्युत विभाग की अनुमति के उपरान्त ही होगा।

7–शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास–ऐसे व्यक्ति जो भवन का निर्माण ऐसे स्थान पर करेगा जो की सार्वजनिक नाली से 30 मीटर के भीतर होगा, तो उसे अपने भवन के पानी की नाली को सार्वजनिक नाली तक स्वयं मिलाना होगा।

8–भवन में फ्लश/लैट्रिंग लगाना अनिवार्य होगा बिना फ्लश/लैट्रिंग के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

9–नालियॉ– भवन की नालियॉ सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियॉ बनायी जाएगी तथा सार्वजनिक नालियों से इसका जुड़ा होना भवन स्वामियों के लिए आवश्यक होगा तथा बारिश के पानी को छतों से उतारने हेतु पाईप लगाने होंगे।

10–पिलिन्थ (कुर्सी)–भवन का पिलिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊॅचा रखना होगा।

11–भवन की ऊॅचाई–भूतल से फर्श छत पर ऊॅचाई 3.60 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों पर कम से कम 3.00 मीटर रखनी होगी।

12–(क) भवन की किनारे व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम से कम 7.20 वर्गमीटर होगा तथा कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।

(ख) कमरे में समुचित जंगलों और वेन्टीलेशनों की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे तथा इनका क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से 01/01 से कम नहीं होगा।

(ग) जंगले इस प्रकार बनाये जायेंगे कि इनको पूरा खोला जा सके।

(घ) जीना–बहु मंजिले भवनों के हवादार जीने का निर्माण आवशयक होगा।

13–किसी ऐसे भू-खण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिसकी चौड़ाई 7.50 मीटर तथा लम्बाई (गहराई) 12.00 मीटर से कम होगी।

14–जानवरों का बाड़े की फर्श पक्की तथा ढालदार बनाना होगा।

15–जब सक्षम अधिकारी यह निश्चित कर लेगा कि प्रस्तावित भवन इस उपविधि से सम्बन्धित सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करेगा।

16–निकाय/बोर्ड उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-186 के अन्तर्गत किसी निर्माण कार्य को रोकने तथा निर्मित भवन को गिरा देने का अधिकार होगा जब भवन स्वामी या अभ्यासी को किसी भवन या भवन के नाम के निर्माण, पुनःनिर्माण या परिवर्तन अथवा विस्तार किसी ऐसे दशा में जहॉ निकाय/बोर्ड का यह विचार हो कि इस प्रकार का निर्माण, पुनःनिर्माण, परिवर्तन या विस्तार धारा-185 के अधीन कोई अपराध है, तो भवन स्वामी को लिखित नोटिस देकर रोकने का निर्देश दे सकता है और इसी प्रकार यथास्थिति ऐसे भवन या भवन के भाग में परिवर्तन करने या उसे गिरा देने का जिसे वह आवश्यक समझे, निर्देश दे सकता है।

शास्ति

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम-2, 1916 की धारा-299(1)) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत अमेठी जनपद-लखनऊ यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधियों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर चला आ रहा हो तो रु0 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के किया जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, अमेठी,
जनपद-लखनऊ।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम SYED SHAHZADE ALI है जो मेरे इंटरमीडिऐट के अंकपत्र में अनुक्रमांक नम्बर 23633463 में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंकपत्र में अनुक्रमांक नम्बर 5085983 में SYED SAJID ALI अंकित हो गया जो कि गलत है।

Syed Ali Abbas
S/o Syed Shahzade Ali,
Vill. & Post-Nonahara,
District-Ghazipur, U.P.

सूचना

मेरे आधार संख्या 8857 5192 9911 में त्रुटिवश मेरा नाम प्रिया दर्ज हो गया है जो कि पूर्णरूप से गलत है मेरा सही नाम कुमारी मायावती है।

कुमारी मायावती,
पुत्री क्षमानाथ,
निवासी–गेदुराही, मेजा,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

फर्म मे0 कानपुर कैरियर्स, 7/32, तिलक नगर, कानपुर नगर में दिनांक 01 फरवरी, 2023 को श्री विष्णु

मिश्रा, श्री गौरव मिश्रा, श्री सौरभ मिश्रा पार्टनर थे। दिनांक 04 मार्च, 2023 को श्री रजत जैन पुत्र श्री प्रवीन कुमार जैन निवासी 133/78 आनन्दपुरी टी0पी0 नगर, कानपुर नगर एवं श्री सम्यक जैन पुत्र श्री प्रवीन कुमार जैन नि0 78-ए, आनन्दपुरी टी0पी0 नगर, कानपुर नगर सम्मिलित हो गये है तथा दिनांक 04 मार्च, 2023 को ही श्री विष्णु मिश्रा पुत्र स्व0 बी0एन0 मिश्रा नि0 7/32, तिलक नगर, कानपुर नगर एवं श्री गौरव मिश्रा पुत्र श्री विष्णु मिश्रा नि0 7/32, तिलक नगर, कानपुर नगर एवं श्री सौरभ मिश्रा पुत्र श्री विष्णु मिश्रा नि0 7/32, तिलक नगर, कानपुर नगर रिटायर्ड हो गये है तथा दिनांक 04 मार्च, 2023 से फर्म में मि0 रजत जैन पुत्र श्री प्रवीन कुमार जैन निवासी 133/78 आनन्दपुरी टी0पी0 नगर, कानपुर नगर, मि0 सम्यक जैन पुत्र श्री प्रवीन कुमार जैन नि0 78-ए, आनन्दपुरी टी0पी0 नगर, कानपुर नगर पार्टनर है।

रजत जैन,
पार्टनर,
मे0 कानपुर कैरियर्स,
7/32, तिलक नगर,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स वी0एस0 एंटरप्राईजेज 72/436 स्ट्रीट नं0 2 अग्रसेन विहार मुजफ्फरनगर का रजिस्ट्रेशन कार्यालय निबंधक फर्म से 06 जुलाई, 2016 को किया गया था। फर्म में रजिस्ट्रेशन के समय विवेक आर्य व संजीव कुमार पार्टनर थे। नई डीड 01 अप्रैल, 2023 से फर्म की भागीदारी में विकास बालियान को फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार फर्म में कुल तीन पार्टनर विवेक आर्य पुत्र राजेन्द्र आर्य, संजीव कुमार पुत्र जयपाल सिंह, विकास बालियान पुत्र राजेन्द्र सिंह है।

पार्टनर,
विवेक आर्य,
72/436 स्ट्रीट नं0 2 अग्रसेन
विहार, मुजफ्फरनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड सं0 682525355854 में मेरा नाम पूजा अंकित है जो कि गलत है। मेरे हाईस्कूल की मार्कशीट संख्या 0049226 में मेरा नाम अर्तिका वर्मा अंकित है जो कि सही है। भविष्य में मुझे अर्तिका वर्मा पत्नी दीपक कुमार सोनी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे। अर्तिका वर्मा पत्नी दीपक कुमार सोनी, पता ग्राम खेता सराय बद्दोपुर जौनपुर।

अर्तिका वर्मा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम जश मौर्य है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 817919503764 में दुर्गेश कुशवाहा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम, जश मौर्य पुत्र अमरपाल ग्राम व पोस्ट टिकरा, कानपुर के नाम से जाना व पहचाना जाय।

अमर पाल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ अभिलेखों में मेरा नाम बलिराम पुत्र चन्द्रदेव राम अंकित है तथा कुछ अभिलेखों में बलिराम हरिजन पुत्र चन्द्रदेव राम अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे बलिराम पुत्र चन्द्रदेव राम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

बलिराम पुत्र चन्द्रदेव राम,
ग्राम–कोईन्दी बुजुर्ग,
पो0–तमकुही, कुशीनगर (उ0प्र0)।

सूचना

मैं शिव बहादुर पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी–काशीपुर मोहन पोस्ट परसीपुर कुण्डा प्रतापगढ़, मेरी पुत्री संचिता वर्मा के हाईस्कूल के अंक पत्र में गलती से इनकी माता का नाम सुनीता लिखा हुआ है, जबकि इनकी माता का सही नाम सरिता देवी है। भविष्य में इसी नाम से जाना जाय।

शिव बहादुर।

सूचना

मेरे आफिस रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम आरती त्रिपाठी गलत दर्ज है, सही नाम शालिनी त्रिपाठी है। अनिल कुमार त्रिपाठी रैंक पी0ओ0एम0ए0 नं0 179950-बी, पता– एफ,3126 राजाजीपुरम्, लखनऊ।

अनिल कुमार त्रिपाठी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ''ए0एस0 पहलवान राईस मिल, पता– ग्राम म्यूरी, तहसील मिलक, जिला रामपुर (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 02 सितम्बर, 2022 को श्री राजीव कुमार पुत्र मुन्ना लाल निवासी ग्राम व पो0 आगापुर, जिला रामपुर व श्रीमती इन्दू यादव पुत्री श्री अतर सिंह निवासी 249, आगापुर, रामपुर सिटी, तहसील सदर, रामपुर व श्री नसीम

अहमद पुत्र श्री अनीस अहमद निवासी ग्राम व पो0 मूंढापाण्डे, मुरादाबाद व श्री शमीम अहमद पुत्र श्री अनीस अहमद निवासी ग्राम व पो0 मूंढापाण्डे मुरादाबाद व श्री शाहिद अली पुत्र श्री अब्दुल हक निवासी मोहल्ला तकिया केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को श्री अब्दुल रशीद पुत्र श्री हबीब अहमद निवासी म0नं0–198, मोहल्ला सिंघाड़ियान, केमरी बिलासपुर, रामपुर व श्री रफीक अहमद पुत्र श्री शब्बीर अहमद निवासी 159, मोहल्ला इमामबाड़ा निकट इमामबाड़ा वाली मस्जिद, केमरी बिलासपुर, रामपुर व श्रीमती मुन्नी बेगम पत्नी श्री वकील अहमद पुत्री श्री धुमी निवासी म0नं0-199, मोहल्ला सिंघाड़ियान, केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर व श्रीमती शाहजहां पत्नी श्री नईम पुत्री श्री शब्बीर अहमद निवासी म0नं0–68, मोहल्ला माजुल्ला नगर, केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर व श्रीमती नथिया पत्नी अब्दुल रशीद पुत्री श्री नजीर अहमद निवासी म0नं0–198, मोहल्ला सिंघाड़ियान, केमरी बिलासपुर, रामपुर व श्री मो0 नावेद पुत्र श्री मो0 असलम निवासी मोहल्ला इमामबाड़ा केमरी बिलासपुर, रामपुर व तौफीक अहमद पुत्र श्री शफीक अहमद निवासी मोहल्ला इमामबाड़ा, कस्बा केमरी बिलासपुर, जिला रामपुर शामिल हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर श्री उक्त फर्म पर कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में 8 पार्टनर श्री अब्दुल रसीद, रफीक अहमद, श्रीमती मुन्नी बेगम, श्रीमती शाहजहां श्रीमती नथिया, श्री श्रीपाल यादव, श्री मो0 नावेद व तौफीक अहमद हो गये हैं।

श्रीपाल यादव,
पार्टनर,
फर्म मे0 ''ए0एस0 पहलवान राईस मिल'',
पता– ग्राम म्यूरी,
तहसील मिलक जिला रामपुर (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गणेशदास रामगोपाल पता–हलवासिया कोर्ट, हजरतगंज, लखनऊ–226001, जिसका रजि0 सं0 27821 दिनांक 24.01.2004 रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स उ0प्र0 के यहां पंजीकृत है। उक्त फर्म में प्रथम साझेदार श्रीमती अनारी देवी हलवासिया एवं द्वितीय साझेदार श्री उमा शंकर हलवासिया थे। प्रथम साझेदार श्रीमती अनारी देवी हलवासिया का देहांत दिनांक 26.07.2020 को हो गया हैं।

दिनांक 27.07.2020 से उक्त फर्म में साझेदार श्रीमती अनारी देवी हलवासिया के स्थान पर श्री मुकुंद हलवासिया एवं श्रीमती बीना हलवासिया साझेदार के रूप में सम्मिलित हुये हैं।

वर्तमान में उक्त फर्म गणेशदास रामगोपाल में प्रथम साझेदार श्री उमा शंकर हलवासिया, द्वितीय साझेदार श्री मुकुंद हलवासिया एवं तृतीय साझेदार श्रीमती बीना हलवासिया हैं।

उमा शंकर हलवासिया,
साझेदार मेसर्स गणेशदास रामगोपाल,
पता–हलवासिया कोर्ट, हजरतगंज,
लखनऊ–226001 ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स भारत बिल्डर्स, मोहल्ला महाजन चन्दौसी, जिला सम्भल (उ0प्र0) जिसकी पंजीकरण सं0 SBU/00007454 है। पंजीकरण के समय फर्म में तीन पार्टनर अमित अग्रवाल, रविन्द्र कुमार एवं श्रीमती आशा रानी थे। पार्टनर श्री रविन्द्र कुमार एवं श्रीमती आशा रानी ने दिनांक 01.04.2023 को त्याग पत्र/रिटायरमेन्ट लेकर फर्म से अपनी साझीदारी समाप्त कर ली है। जिनके स्थान पर उसी दिनांक 01.04.2023 को श्रीमती शालिनी शामिल हो गयी हैं। त्याग पत्र/रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर की फर्म पर अब कोई लेनदारी/देनदारी नहीं है। उक्त फर्म में अब वर्तमान में दो पार्टनर अमित अग्रवाल एवं श्रीमती शालिनी हैं।

अमित अग्रवाल,
मेसर्स भारत बिल्डर्स,
मोहल्ला महाजन चन्दौसी,
जिला सम्भल (उ0प्र0)।

पी0एस0यू0पी0–10 हिन्दी गजट–भाग 8–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।